दशम माला, खंड 38, अंक 1

सोमवार, 13 फ़रवरी, 1995
24 माघ 1916 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तेरहवां - सत्र

(दसवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खण्ड 38 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रूपये

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

दशम माला, खंड 38, तेरहवां सत्र, 1995/1916 (शक)
अंक 1, सोमवार, 13 फरवरी, 1995/24 माघ, 1916 (शक)

विषय	कालम
राष्ट्रगान — धुन बजाई गई	1
राष्ट्रपति का अभिभाषण — सभा पटल पर रखा गया	1—12
मंत्रियों का परिचय	12
निधन सम्बन्धी उल्लेख	12
भूतपूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह और अन्य सदस्यों के निधन के संबंध में	
श्री पी.वी. नरसिंह राव	17—18
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	18—20
श्री राम विलास पासवान	20—21
श्री सोमनाथ चटर्जी	21—22
श्री इन्द्रजीत गुप्त	22—24
श्री चन्द्रजीत यादव	24—26
श्री पी.जी. नारायणन	26
श्री इब्राहिम सुलेमान सेट	26—27
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे	27
श्री चित्त बसु	28
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी	28—29
श्री रामसागर	29
श्री ई. अहमद	29
श्री पी.सी. थामस	29
सभा पटल पर रखे गए पत्र	30—31

दसवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रमानुसार सूची

अ

अंजलोज, श्री थाइल जॉन (अलेप्पी)

अंसारी, डा. मुमताज (कोडरमा)

अकबर पाशा, श्री बी. (वेल्लोर)

अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र (झांसी)

अजित सिंह, श्री (बागपत)

अडईकलराज, श्री एल. (तिरुचिरापल्ली)

अनवर, श्रीमती के. पद्मश्री (नेल्लोर)

अन्तुले, श्री ए. आर. (कोलाबा)

अन्बारासु, श्री आर, (मद्रास मध्य)

अब्दुल, गफूर श्री (गोपालगंज)

अमर पाल सिंह, श्री (मेरठ)

अयूब खां, श्री (झुंझुनू)

अय्यर, श्री मणि शंकर (मईलादुतुराई)

अरुणाचलम, श्री एम. (टेंकासी)

अवैद्य नाथ, महन्त (गोरखपुर)

अशोकराज, श्री ए. (पैरम्बलूर)

अर्सल, श्रीमती चन्द्र प्रभा (मैसूर)

अहमद, श्री ई. (मंजेरी)

अहमद, श्री कमालुद्दीन (हनमकोण्डा)

अहिरवार, श्री आनन्द (सागर)

आ

आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा)

आजम, डा. फैयाजुल (बेतिया)

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण (गांधीनगर)

आदित्यन, श्री आर. धनुषकोडी (तिरूचेन्दूर)

इ

इन्द्र जीत, श्री (दार्जिलिंग)

इम्थालम्बा, श्री (नागालैंड)

इस्लाम, श्री नुरुल (धूबरी)

उ

उन्नीकृष्णन्, श्री के.पी. (बडागरा)

उपाध्याय, श्री स्वरूप (तेजपुर)

उमराव सिंह, श्री (जालन्धर)

उमा भारती, कुमारी (खजुराहो)

उम्ब्रे, श्री लाईता (अरुणाचल पूर्वी)

उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु, प्रो. (तेनाली)

उरांव, श्री ललित (लोहरदगा)

ओ

ओडेयर, श्री चनैया (दावनगेरे)

ओवेसी, श्री सुल्तान सलाउद्दीन (हैदराबाद)

क

कटियार, श्री विनय (फैजाबाद)

कठेरिया, श्री प्रभू दयाल (फिरोजाबाद)

कनोजिया, डा. जी.एल. (खीरी)

कनोडिया, श्री महेश (पाटन)

कमल नाथ, श्री (छिन्दवाड़ा)

कमल, श्री श्याम लाल (बस्ती)

करेद्दुला, श्रीमती कमला कुमारी (भद्राचलम)

कस्वां, श्री राम सिंह (चुरु)

कहांडोले, श्री जेड.एम. (मालेगांव)

कांशीराम, श्री (इटावा)

कापसे, श्री राम (ठाणे)

कामत, श्री गुरुदास (मुम्बई उत्तर-पूर्व)

कामसन, प्रो. एम. (बाह्य मणिपुर)

काम्बले, श्री अरविन्द तुलशीराम (उस्मानाबाद)

कालकादास, श्री (करोलबाग)

कालियापेरूमल, श्री पी.पी. (कुड्डालोर)

काले, श्री शंकरराव दे. (कोपरगांव)

कासु, श्री वेंकट कृष्ण रेड्डी (नरसारावपेट)

कुन्जी लाल, श्री (सवाई माधोपुर)

कुप्पुस्वामी, श्री सी.के. (कोयम्बटूर)

कुमार, श्री नीतीश (बाढ़)

कुमार, श्री वी. धनंजय (मंगलौर)

कुमारमंगलम, श्री रंगराजन (सलेम)

कुमारासामी, श्री पी. (पलानी)
कुरियन, प्रो. पी.जे. (मवेलीकारा)
कुली, श्री बालिन (लखीमपुर)
कुसमरिया, डा. रामकृष्ण (दमोह)
कृष्ण कुमार, श्री एस. (क्विलोन)
कृष्ण स्वामी, श्री एम. (वन्डावाशी)
कृष्णेन्द्र कौर (दीपा), श्रीमती (भरतपुर)
केवल सिंह, श्री (भटिंडा)
केशरी लाल, श्री (घाटमपुर)
कैनिथी, डा. विश्वानाथम (श्रीकाकुलम)
कैरों, श्री सुरेन्द्र सिंह (तरन तारन)
कोंताला, श्री रामकृष्ण (अनकापल्ली)
कोटला, श्री जय सूर्यप्रकाश रेड्डी (कुरनूल)
कोली, श्री गंगा राम (बयाना)
कौल, श्रीमती शीला (राय बरेली)
क्षीरसागर, श्रीमती केसरबाई सोनाजी (बीड)

ख

खन्ना, श्री राजेश (नई दिल्ली)
खनोरिया, मेजर डी.डी. (कांगड़ा)
खण्डूरी, मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र (गढ़वाल)
खां, श्री असलम शेर (बेतुल)
खां, श्री गुलाम मौहम्मद (मुरादाबाद)
खां, श्री सुखेन्दु (विष्णुपुर)
खुर्शीद, श्री सलमान (फर्रुखाबाद)

ग

गंगवार, डा. परशुराम (पीलीभीत)
गंगवार, श्री संतोष कुमार (बरेली)
गगोई, श्री तरुण (कलियाबोर)
गजपति, श्री गोपी नाथ (बरहामपुर)
गमांग, श्री गिरिधर (कोरापुट)
गहलोत, श्री अशोक (जोधपुर)
गामीत, श्री छीतूभाई (माण्डवी)
गायकवाड़, श्री उदयसिंहराव (कोल्हापुर)
गालिब, श्री गुरचरण सिंह (लुधियाना)
गावीत, श्री माणिकराव होडल्या (नन्दरबार)
गिरि, श्री सुधीर (कन्टाई)
गिरिजा देवी, श्रीमती (महाराजगंज)
गिरियप्पा, श्री सी.पी. मुडला) (चित्रदुर्ग)
गूंडेवार, श्री विलासराव नागनाथराव (हिंगोली)
गुडाडिन्नी, श्री बी.के. (बीजापुर)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (मिदनापुर)
गोपालन, श्रीमती सुशीला (चिरायिंकिल)
गोहिल, डा. महावीरसिंह हरिसिंहजी (भावनगर)
गौड, प्रो. के. वेंकटगिरि (बंगलौर दक्षिण)
गौतम, श्रीमती शीला (अलीगढ़)

घ

घंगारे, श्री रामचन्द्र मारोतराव (वर्धा)
घाटोवार, श्री पवन सिंह (डिब्रूगढ़)

च

चक्रवर्ती, प्रो. सुशान्त (हावड़ा)
चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति (दमदम)
चटर्जी, श्री सोमनाथ (बोलपुर)
चन्द्र शेखर, श्री (बलिया)
चन्द्रशेखर, श्रीमती मारगथम (श्रीपेरूम्बुदूर)
चव्हाण, श्री पृथ्वीराज डी. (कराड़)
चाको, श्री पी.सी. (त्रिचूर)
चार्ल्स, श्री ए. (त्रिवेन्द्रम)
चलिहा, श्री किरिप (गुवाहाटी)
चावड़ा, श्री ईश्वरभाई खोडाभाई (आनन्द)
चावड़ा, श्री हरिसिंह (बनासकांठा)
चिखलिया, श्रीमती भावना (जूनागढ़)
चिदम्बरम, श्री पी. (शिवगंगा)
चिन्ता मोहन, डा. (तिरुपति)
चेन्नितला, श्री रमेश (कोट्टायम)
चौधरी, श्री ए.बी.ए. गनी खां (मालदा)
चौधरी, स्क्वैड्रन लीडर कमल (होशियारपुर)

चौधरी, डा. के.वी.आर. (राजामुन्दरी)
चौधरी, श्री नारायण सिंह (हिसार)
चौधरी, श्री पंकज (महाराजगंज)
चौधरी, श्री राम टहल (रांची)
चौधरी, श्री रुद्रसेन (बहराइच)
चौधरी, श्री लोकनाथ (जगतसिंहपुर)
चौधरी, श्रीमती संतोष (फिल्लौर)
चौधरी, श्री सैफुद्दीन (कटवा)
चौरे, श्री बापू हरि (धुले)
चौहान, श्री चेतन पी. एस. (अमरोहा)
चौहान, श्री शिवराज सिंह (विदिशा)

छ

छटवाल, श्री सरताज सिंह (होशंगाबाद)
छोटे लाल, श्री (मोहनलालगंज)

ज

जंगबीर सिंह, श्री (भिवानी)
जटिया, श्री सत्यनारायण (उज्जैन)
जनार्दनन, श्री एम.आर. कादम्बूर (तिरूनेलवेली)
जय प्रकाश, श्री (हरदोई)
जयमोहन, श्री ए. (तिरूपत्तूर)
जसवन्त सिंह, श्री (चित्तौड़गढ़)
जांगडे, श्री खेलन राम (बिलासपुर)
जाखड़े, श्री बलराम (सीकर)
जाटव, श्री बारे लाल (मुरैना)
जाफर शरीफ, श्री सी.के. (बंगलौर उत्तर)
जावाली, डा. बी.जी. (गुलबर्गा)
जायनल अबेदिन, श्री (जंगीपुर)
जीवरत्नम, श्री आर. (अराकोनम)
जैना, श्री श्रीकान्त (कटक)
जेस्वाणी, डा. खुशीराम डुंगरोमल (खेड़ा)
जोशी, श्री अन्ना (पुणे)
जोशी, श्री दाऊ दयाल (कोटा)

झ

झा, श्री भोगेन्द्र (मधुबनी)
झिकराम, श्री मोहनलाल (मांडला)

ट

टंडेल, श्री डी. जे. (दमन और दीव)
टाइटलर, श्री जगदीश (दिल्ली सदर)
टिंडिवनाम, श्री के. राममूर्ती (टिंडिवनाम)
टोपीवाला, श्रीमती दीपिका एच. (बड़ौदा)
टोपे, श्री अंकुशराव (जालना)
ठाकुर, श्री गाभाजी मंगाजी (कपड़बंज)
ठाकुर, श्री महेन्द्र कुमार सिंह (खंडवा)

ड

डामोर, श्री सोमजीभाई (दोहद)
डेनिस, श्री एन. (नागरकोइल)
डेका, श्री प्रबीन (मंगलदाई)
डेलकर, श्री मोहन एस. (दादरा और नगर हवेली)
डोम, डा. राम चन्द्र (बीरभूम)

त

तंग्का बालू, श्री के.वी. (धर्मपुरी)
तारा सिंह, श्री (कुरुक्षेत्र)
तिरिया, कुमारी सुशीला (मयूरभंज)
तीरकी, श्री पीयूष (अलीपुरद्वार)
तेजनारायण सिंह, श्री (बक्सर)
तोपदार, श्री तरित वरण (बैरकपुर)
तोपनो, कुमारी फ्रिडा (सुन्दरगढ़)
तोमर, डा. रमेश चन्द (हापुड़)
त्रिपाठी, श्री प्रकाश नारायण (बांदा)
त्रिपाठी, श्री ब्रज किशोर (पुरी)
त्रिपाठी, श्री लक्ष्मीनारायण मणि (केसरगंज)
त्रिवेदी, श्री अरविन्द (साबरकंठा)

थ

थामस, प्रो. के. वी. (एरणाकुलम)
थामस, श्री पी. सी. (मुवत्तुपुजा)

थिटे, श्री बापूसाहिब (बारामती)

थुंगन, श्री पी.के. (अरुणाचल पश्चिम)

थोरात, श्री संदीपन भगवान (पंढरपुर)

द

दत्त, श्री अमल (डायमंड हार्बर)

दत्त, श्री सुनील (मुम्बई उत्तरपश्चिम)

दलबीर सिंह, श्री (शहडोल)

दादाहूर, श्री गुरुचरण सिंह (संगरूर)

दास, श्री अनादि चरण (जाजपुर)

दास, श्री जितेन्द्र नाथ (जलपाईगुड़ी)

दास, श्री द्वारका नाथ (करीमगंज)

दास, श्री राम सुन्दर (हाजीपुर)

दिघे, श्री शरद (मुम्बई-उत्तर मध्य)

दीक्षित, श्री श्रीश चन्द्र (वाराणसी)

दीवान, श्री पवन (महासमुन्द)

दुबे, श्रीमती सरोज (इलाहाबाद)

देब, श्री संतोष मोहन (त्रिपुरा-पश्चिम)

देवरा, श्री मुरली (मुम्बई-दक्षिण)

देवराजन, श्री बी. (रसिपुरम)

देवी, श्रीमती बिभू कुमारी (त्रिपुरा पूर्व)

देशमुख, श्री अनंतराव (वाशिम)

देशमुख, श्री अशोक आनंदराव (परभनी)

देशमुख, श्री चन्दूभाई (भड़ौच)

द्रोण, श्री जगत वीर सिंह (कानपुर)

ध

धर्मभिक्षम, श्री (नालगोंडा)

धूमल, प्रो. प्रेम (हमीरपुर)

न

नंदी, श्री येल्लैया (सिद्दीपेट)

नवले, श्री विदुरा विठोबा (खेड़)

नाईक, श्री राम (मुम्बई उत्तर)

नायक, श्री ए. वेंकटेश (रायचूर)

नायक, श्री जी. देवराय (कनारा)

नायक, श्री मृत्युन्जय (फूलबनी)

नायक, श्री सुभाष चन्द्र (कालाहण्डी)

नायकर, श्री डी.के. (धारवाड़ उत्तर)

नारायणन, श्री पी.जी. (गोबिचेट्टिपालयम)

निकम, श्री गोविन्दराव (रत्नागिरी)

नेताम, श्री अरविन्द (कांकेर)

न्यामगौड, श्री सिद्दप्पा भीमप्पा (बागलकोट)

प

पांडियन, श्री डी. (मद्रास उत्तर)

पंवार, श्री हरपाल (कैराना)

पटनायक, श्री शरत (बोलनगीर)

पटनायक, श्री शिवाजी (भुवनेश्वर)

पटेल, डा. अमृतलाल कालिदास (मेहसाना)

पटेल, श्री उत्तमभाई हारजीभाई (बालसाड़)

पटेल, श्री चन्द्रेश (जामनगर)

पटेल, श्री प्रफुल (भंडारा)

पटेल, श्री बृशिण (सीवान)

पटेल, श्री भीम सिंह (रीवा)

पटेल, श्री राम पूजन (फूलपुर)

पटेल, श्री श्रवण कुमार (जबलपुर)

पटेल, श्री सोमाभाई (सुरेन्द्रनगर)

पटेल, श्री हरिभाई (पोरबन्दर)

पटेल, श्री हरिलाल ननजी (कच्छ)

पद्मा, डा. (श्रीमती) (नागापट्टीनम)

पवार, डा. वसंत (नासिक)

पांजा, श्री अजित (कलकत्ता उत्तर-पूर्व)

पाटिल, श्री शिवराज वी. (लातूर)

पाटीदार, श्री रामेश्वर (खारगोन)

पाटील, श्री अन्वरी बसवराज (कोप्पल)

पाटील, श्री उत्तमराव देवराव (यवतमाल)

पाटील, श्री प्रकाश वी. (सांगली)

पाटील, श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह (अमरावती)

पाटील, श्री विजय एन. (इरनदोल)

पाटील, श्रीमती सूर्यकान्ता (नान्देड़)

पाठक, श्री सुरेन्द्रपाल (शाहबाद)
पाठक, श्री हरिन (अहमदाबाद)
पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ (देवगढ़)
पाण्डेय, डा. लक्ष्मी नारायण (मंदसौर)
पात्र, डा. कार्तिकेश्वर (बालासौर)
पायलट, श्री राजेश (दौसा)
पाल, डा. देवी प्रसाद (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम)
पाल, श्री रूपचन्द (हुगली)
पालाचोला, श्री वी. आर. नायडू (खम्माम)
पासवान, श्री छेदी (सासाराम)
पासवान, श्री राम विलास (रोसेड़ा)
पासवान, श्री सुकदेव (अररिया)
पासी, श्री बलराज (नैनीताल)
पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र (सिल्चर)
पूसापति, श्री आनन्दगजपति राजू (बोब्बिली)
पेरूमान, डा. पी. वल्लल (चिदम्बरम)
पोतदुखे, श्री शांताराम (चन्द्रपुर)
प्रकाश, श्री शशि (चैल)
प्रधानी, श्री के. (नवरंगपुर)
प्रभु, श्री आर. (नीलगिरि)
प्रभु, झांट्ये, श्री हरीश नारायण (पणजी)
प्रमाणिक, प्रो. आर.आर. (मथुरापुर)
प्रसाद, श्री वी. श्रीनिवास (चामराजनगर)
प्रसाद, श्री हरि केवल (सलेमपुर)
प्रेम, श्री बी.एल. शर्मा (पूर्व दिल्ली)
प्रेमी, श्री मंगलराम (बिजनौर)

फ

फर्नान्डीज, श्री ओस्कर (उदीपी)
फर्नान्डीज, श्री जार्ज (मुज़फ्फरपुर)
फातमी, श्री मोहम्मद अली अशरफ (दरभंगा)
फारूक, श्री एम.ओ.एच. (पांडिचेरी)
फुंडकर, श्री पांडुरंग पुंडलिक (अकोला)
फैलीरो, श्री एडुआर्डो (मारमागाओ)

ब

बंडारू, श्री दत्तात्रेय (सिकन्दराबाद)
बंसल, श्री पवन कुमार (चंडीगढ़)
बनर्जी, कुमारी ममता (कलकत्ता दक्षिण)
बरार, श्री जगमीत सिंह (फरीदकोट)
बर्मन, श्री उद्धव (बारपेटा)
बर्मन, श्री पलास (बलूरघाट)
बसु, श्री अनिल (आरामबाग)
बसु, श्री चित्त (बारसाट)
बाला, डा. असीम (नवद्वीप)
बालयोगी, श्री जी.एम.सी. (अमालापुरम)
बालियान, श्री नरेश कुमार (मुजफ्फरनगर)
बीरबल, श्री (गंगानगर)
बूटा सिंह, श्री (जालौर)
बैरवा, श्री राम नारायण (टोंक)
बैठा, श्री महेन्द्र (बगहा)
ब्रह्म चौधरी, श्री सत्येन्द्रनाथ (कोकराझार)

भ

भक्त, श्री मनोरंजन (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह)
भगत, श्री विश्वेश्वर (बालाघाट)
भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी (जादवपुर)
भडाना, श्री अवतार सिंह (फरीदाबाद)
भण्डारी, श्रीमती दिल कुमारी (सिक्किम)
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)
भारद्वाज, श्री परसराम (सारंगढ़)
भार्गव, श्री गिरधारी लाल (जयपुर)
भूरिया, श्री दिलीप सिंह (झाबुआ)
भोंसले, श्री तेजसिंहराव, (रामटेक)
भोंसले, श्री प्रतापराव बी. (सतारा)
भोई, डा. कृपासिन्धु (सम्बलपुर)

म

मंजय लाल, श्री (समस्तीपुर)
मंडल, श्री ब्रह्मानन्द (मुंगेर)

मंडल, श्री सनत कुमार (जयनगर)
मंडल, श्री सूरज (गोड्डा)
मधुकर, श्री कमला मिश्र (मोतीहारी)
मनफूल सिंह, श्री (बीकानेर)
मरबनिआंग, श्री पीटर जी (शिलांग)
मरन्डी, श्री कृष्ण (सिंहभूम)
मरान्डी, श्री साइमन (राजमहल)
मलिक, श्री धर्मपाल सिंह (सोनीपत)
मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र (दुर्गापुर)
मल्लिकार्जुन, श्री (महबूबनगर)
मल्लिकारजुनय्या, श्री एस. (तुमकुर)
मल्लू, डा. आर. (नगर कुरनूल)
मसूद, श्री रशीद (सहारनपुर)
महतो, श्री बीर सिंह (पुरुलिया)
महतो, श्री राज किशोर (गिरिडीह)
महतो, श्री शैलेन्द्र (जमशेदपुर)
महाजन, श्रीमती सुमित्रा (इन्दौर)
महेन्द्र कुमारी, श्रीमती (अलवर)
माडे गौडा, श्री जी. (माण्डया)
माणे, श्री राजाराम शंकरराव (इचलकरांजी)
माथुर, श्री शिव चरण (भीलवाड़ा)
मिर्धा, श्री नाथू राम (नागौर)
मिर्धा, श्री राम निवास (बाड़मेर)
मिश्र, श्री जनार्दन (सीतापुर)
मिश्र, श्री राम नगीना (पडरौना)
मिश्र, श्री श्याम बिहारी (बिल्हौर)
मिश्र, श्री सत्यगोपाल (तामलुक)
मीणा, श्री भेरू लाल (सलूम्बर)
मुखर्जी, श्रीमती गीता (पंसकुरा)
मुखर्जी, श्री प्रमथेस (बरहामपुर)
मुखर्जी, श्री सुव्रत (रायगंज)
मुखोपाध्याय, श्री अजय (कृशनगर)
मुजाहिद, श्री बी.एम. (धारवाड़ दक्षिण)
मुण्डा, श्री कड़िया (खूंटी)
मुत्तेमवार, श्री विलास (चिमूर)
मुनियप्पा, श्री के.एच. (कोलार)
मुंडा, श्री गोविन्द चन्द्र (क्योंझर)
मुरमु, श्री रूप चंद (झाड़ग्राम)
मुरलीधरन, श्री के. (कालीकट)
मुरुगेसन, डा. एन. (करूर)
मूर्ति, श्री एम.वी. चन्द्रशेखर (कनकपुरा)
मूर्ति, श्री एम.वी.वी.एस. (विशाखापटनम)
मेघे, श्री दत्ता (नागपुर)
मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद (हजारीबाग)
मैथ्यू, श्री पाल्ला के. एम. (इदुक्की)
मोल्लाह, श्री हन्नान (उलूबेरिया)
मोहन सिंह, श्री (फिरोजपुर)
मौर्य, श्री आनन्द रत्न (चंदौली)

य

यादव, श्री अर्जुन सिंह (जौनपुर)
यादव, श्री चन्द्रजीत (आजमगढ़)
यादव, श्री चुन चुन प्रसाद (भागलपुर)
यादव, श्री छोटे सिंह (कन्नौज)
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद (झंझारपुर)
यादव, श्री राम कृपाल (पटना)
यादव, श्री राम लखन सिंह (आरा)
यादव, श्री राम शरण (खगरिया)
यादव, श्री विजय कुमार (नालन्दा)
यादव, डा. एस.पी. (सम्भल)
यादव, श्री सत्यपाल सिंह (शाहजहांपुर)
यादव, श्री सूर्य नारायण (सहरसा)
यादव, श्री शरद (मधेपुरा)
युमनाम, श्री याइमा सिंह (आर्तरिक मणिपुर)

र

रंगपी, डा. जयन्त (स्वशासी जिला)
रथ, श्री राम चन्द्र (आसका)
राज नारायण, श्री (बासगांव)

राज रविवर्मा, श्री बी. (पोल्लाची)
राजुलु, डा. आर.के.जी. (शिवकासी)
राजे, श्रीमती वसुन्धरा (झालावाड़)
राजेन्द्रकुमार, श्री एस.एस.आर. (चिंगलपट्टु)
राजेश कुमार, श्री (गया)
राजेश्वरन, डा. वी. (रामनाथपुरम)
राजेश्वरी, श्रीमती बासवा (बेल्लारी)
राठवा, श्री एन.जे. (छोटा उदयपुर)
राणा, श्री काशीराम (सूरत)
राम अवध, श्री (अकबरपुर)
राम, श्री प्रेम चन्द (नवादा)
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली (कन्नानौर)
रामदेव राम, श्री (पलामू)
राम बदन, श्री (लालगंज)
राम बाबू, श्री ए.जी.एस. (मदुरै)
राममूर्ति, श्री के. (कृष्णगिरि)
रामसागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (हरिद्वार)
रामासामी, श्री राजगोपाल नायडू (पेरियाकुलम)
रामय्या, श्री बोल्ला बुल्ली (एलुरु)
राय, श्री एम. रमन्ना (कासरगोड़)
राय, श्री कल्प नाथ (घोसी)
राय, श्री नवल किशोर (सीतामढ़ी)
राय, श्री रवि (केन्द्रपाड़ा)
राय, श्री रामनिहोर (राबर्ट्सगंज)
राय, श्री लाल बाबू (छपरा)
राय, डा. सुधीर (बर्दवान)
राय, श्री हाराधन (आसनसोल)
रायचौधरी, श्री सुदर्शन (सीरमपुर)
रायप्रधान, श्री अमर (कूच बिहार)
राव, श्री डी. वेंकटेश्वर (बापतला)
राव, श्री जे. चोक्का (करीमनगर)
राव, श्री पी.वी. नरसिंह (नन्दयाल)
राव, राम सिंह कर्नल (महेन्द्रगढ़)
राव, श्री वी. कृष्णा (चिक्कबल्लापुर)
रावत, श्री प्रभु लाल (बांसवाड़ा)
रावत, श्री भगवान शंकर (आगरा)
रावत, प्रो. रासा सिंह (अजमेर)
रावल, डा. लाल बहादुर (हाथरस)
रावले, श्री मोहन (मुम्बई-दक्षिण मध्य)
राही, श्री राम लाल (मिसरिख)
रेड्डय्या यादव, श्री के.पी. (मछलीपटनम)
रेड्डी, श्री आर. सुरेन्द्र (वारंगल)
रेड्डी, श्री ए. इन्द्रकरन (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री. ए. वेंकट (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री एम. बागा (मेडक)
रेड्डी, श्री जी. गंगा (निज़ामाबाद)
रेड्डी, श्री मगुन्टा सुब्बारामा (ओंगोले)
रेड्डी, श्री एम.जी. (चित्तूर)
रेड्डी, श्री बी.एन. (मिरयालगुडा)
रेड्डी, श्री वाई.एर. राजशेखर (कुडप्पा)
रोशन लाल, श्री (खुर्जा)

ल

लक्ष्मणन, प्रो. सावित्री (मुकुन्दपुरम)
लवली आनन्द, श्रीमती (वैशाली)
लालजान बाशा, श्री एस.एम. (गुन्टूर)
लोढा, श्री गुमान मल (पाली)

व

वर्मा, श्री उपेन्द्र नाथ (चतरा)
वर्मा, श्री फूलचन्द (शाजापुर)
वर्मा, श्री भवानीलाल (जांजगीर)
वर्मा, श्री रतिलाल (धन्धुका)
वर्मा, प्रो. रीता (धनबाद)
वर्मा, कु. विमला (सिवनी)
वर्मा, श्री शिव शरण (मछलीशहर)
वर्मा, श्री सुशील चन्द्र (भोपाल)

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (लखनऊ)
वाघेला, श्री शंकरसिंह (गोधरा)
वाड्डे, श्री शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा)
वान्डायार, श्री के.टी. (थंजावुर)
वासनिक, श्री मुकुल (बुलढ़ाना)
विजयराघवन, श्री वी.एस. (पालघाट)
विलियम्स, मेजर जनरल आर.जी. (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
वीरप्पा, श्री रामचन्द्र (बीदर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मिर्जापुर)
वेकारिया, श्री शिवलाल नागजीभाई (राजकोट)
व्यास, डा. गिरिजा (उदयपुर)

श

शंकरानन्द, श्री बी. (चिकोडी)
शर्मा, कैप्टन सतीश कुमार (अमेठी)
शर्मा, श्री चिरंजी लाल (करनाल)
शर्मा, श्री जीवन (अल्मोड़ा)
शर्मा, श्री राजेन्द्र कुमार (रामपुर)
शर्मा, श्री विश्वनाथ (हमीरपुर)
शाक्य, डा. महादीपक सिंह (एटा)
शास्त्री, आचार्य विश्वनाथ दास (सुल्तानपुर)
शास्त्री, श्री राजनाथ सोनकर (सैदपुर)
शास्त्री, श्री विश्वनाथ (गाजीपुर)
शाह, श्री मानवेन्द्र (टिहरी-गढ़वाल)
शिंगडा, श्री डी.बी. (दहानू)
शिवप्पा, श्री के.जी. (शिमोगा)
शिवरामन, श्री एस. (ओट्टापलम)
शुक्ल, श्री अष्टभुजा प्रसाद (खलीलाबाद)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (रायपुर)
शेल्के, श्री मारुति देवराम (अहमदनगर)
शैलजा, कुमारी (सिरसा)
श्रीधरण, डा. राजगोपालन (मद्रास दक्षिण)
श्रीनिवासन, श्री सी. (डिन्डिगुल)

स

संगमा, श्री पूर्णो ए. (तुरा)
संघाणी, श्री दिलीप भाई (अमरेली)
सईद, श्री पी.एम. (लक्षद्वीप)
सज्जन कुमार, श्री (बाह्य दिल्ली)
सत्रुचार्ला, श्री विजयराम राजू (पार्वतीपुरम)
सरस्वती, श्री योगानन्द (भिंड)
सरोदे, डा. गुणवन्त रामभाऊ (जलगांव)
सलीम, श्री मुहम्मद यूनुस (कटिहार)
साक्षीजी, डा. (मथुरा)
सादुल, श्री धर्मण्णा मॉडय्या (शोलापुर)
सानीपल्ली, श्री गंगाधर (हिन्दुपुर)
साय, श्री ए. प्रताप (राजमपेट)
सावन्त, श्री सुधीर (राजापुर)
साबे, श्री मोरेश्वर (औरंगाबाद)
साही, श्रीमती कृष्णा (बेगुसराय)
सिंगला, श्री संत राम (पटियाला)
सिंधिया, श्रीमती विजयराजे (गुना)
सिंधिया, श्री माधवराव (ग्वालियर)
सिदनाल, श्री एस. बी. (बेलगांम)
सिद्धार्थ, श्रीमती डी.के. तारादेवी (चिकमगलूर)
सिलवेरा, डा. सी. (मिजोरम)
सिंह, श्री अभय प्रताप (प्रतापगढ़)
सिंह, श्री अर्जुन (सतना)
सिंह, श्री उदय प्रताप (मैनपुरी)
सिंह, श्री खेलसाय (सरगुजा)
सिंह, डा. छत्रपाल (बुलन्दशहर)
सिंह, श्री देवी बक्स (उन्नाव)
सिंह, कु. पुष्पा देवी (रायगढ़)
सिंह, श्री प्रताप (बांका)
सिंह, श्री बृजभूषण शरण (गोण्डा)
सिंह, श्री मोतीलाल (सीधी)
सिंह, श्री मोहन (देवरिया)
सिंह, श्री राजवीर (आंवला)

सिंह, श्री रामनरेश (औरंगाबाद)
सिंह, श्री रामपाल (डुमरियागंज)
सिंह, श्री राम प्रसाद (विक्रमगंज)
सिंह, श्री रामाश्रय प्रसाद (जहानाबाद)
सिंह, श्री लक्ष्मण (राजगढ़)
सिंह, श्री शिवेन्द्र बहादुर (राजनंदगांव)
सिंह, श्री सत्यदेव (बलरामपुर)
सिंह, श्री सूर्य नारायण (बलिया)
सिंह, श्री हरि किशोर (शिवहर)
सिंह देव, श्री के.पी. (ढेंकानाल)
सुख राम, श्री (मंडी)
सुखबंस कौर, श्रीमती (गुरुदासपुर)
सुब्बाराव, श्री थोटा (काकिनाडा)
सुर, श्री मनोरंजन (बसीरहाट)
सुरेश, श्री कोडीकुन्नील (अडूर)
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त (शिमला)
सेट, श्री इब्राहिम सुलेमान (पोन्नानी)
सेठी, श्री अर्जुन चरण (भद्रक)
सैकिया, श्री मुही राम (नोगोंग)
सैयद शहाबुद्दीन, श्री (किशनगंज)
सोढ़ी, श्री मानकूराम (बस्तर)
सोरेन, श्री शिबू (दुमका)
सोलंकी, श्री सूरजभानु (धार)
सौन्दरम, डा. (श्रीमती) के.एस. (तिरुचेंगोड़)
स्वामी, श्री चिन्मयानन्द (बदायूं)
स्वामी, श्री जी. वेंकट (पेड्डापल्ली)
स्वामी, श्री सुरेशानन्द (जलेसर)

ह

हरचन्द सिंह, श्री (रोपड़)
हूड्डा, श्री भूपेन्द्र सिंह (रोहतक)
हान्डिक, श्री विजय कृष्ण (जोरहाट)
हुसैन, श्री सैयद मसूदल (मुर्शिदाबाद)

लोक सभा

अध्यक्ष

श्री शिवराज वी. पाटिल

उपाध्यक्ष

श्री एस. मल्लिकार्जुनय्या

सभापति तालिका

श्री शरद दिघे

श्री पीटर जी. मरबनिआंग

श्री नीतीश कुमार

श्रीमति गीता मुखर्जी

श्री तारा सिंह

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य

श्री राम नाईक

श्री पी. सी. चाको

श्रीमती संतोष चौधरी

प्रो. रीता वर्मा

महासचिव

डा. आर. सी. भारद्वाज

भारत सरकार

मंत्रिमंडल के सदस्य

प्रधानमंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन विज्ञान और प्रौद्योगिकी, महासागर विकास, इलैक्ट्रानिकी परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, ग्रामीण विकास, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, विधि, न्याय और कंपनी कार्य, रक्षा, जम्मू तथा कश्मीर संबंधी मामलों से संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रभारी तथा उद्योग मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार तथा अन्य उन विषयों के प्रभारी, जो मंत्रिमंडल स्तर के किसी अन्य मंत्री अथवा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) को नहीं दिए गए हैं	श्री पी.वी. नरसिंह राव
खाद्य मंत्री	श्री अजित सिंह
कृषि मंत्री	श्री बलराम जाखड़
नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री	श्री बूटा सिंह
रेल मंत्री	श्री सी.के. जाफर शरीफ
बिना विभाग के मंत्री	श्री दिनेश सिंह
वस्त्र मंत्री	श्री जी. वेंकट स्वामी
नागर विमानन और पर्यटन मंत्री	श्री गुलाम नबी आजाद
मानव संसाधन विकास मंत्री	श्री माधवराव सिंधिया
वित्त मंत्री	श्री मनमोहन सिंह
विद्युत मंत्री	श्री एन.के.पी. साल्वे
श्रम मंत्री	श्री पी.ए. संगमा
विदेश मंत्री	श्री प्रणव मुखर्जी
रसायन और उर्वरक मंत्री	श्री राम लखन सिंह यादव
गृह मंत्री	श्री एस.बी. चव्हाण
शहरी विकास मंत्री	श्रीमती शीला कौल
कल्याण मंत्री	श्री सीता राम केसरी
जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री	श्री विद्याचरण शुक्ल

राज्य मंत्री

(स्वतंत्र प्रभार)

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री अजित पांजा
खान मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री बलराम सिंह यादव
योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री गिरिधर गमांग
जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री जगदीश टाइटलर
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री के.पी. सिंह देव
पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री कमल नाथ
वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री पी. चिदम्बरम
पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री	कैप्टन सतीश कुमार शर्मा
इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री संतोष मोहन देव
संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री सुख राम
खाद्य प्रसस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री तरुण गगोई

राज्य मंत्री

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री अरविन्द नेताम
मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री	श्रीमती बासवा राजेश्वरी
प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री और परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री भुवनेश चतुर्वेदी
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री	डा. सी. सिलवेरा

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री	श्री एडुआर्डो फैलीरो
विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एच.आर. भारद्वाज
कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री के.वी. तंग्का बालू
उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री	श्रीमती कृष्णा साही
उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री	श्री एम. अरुणाचलम
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री मल्लिकार्जुन
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्रीमती मारग्रेट आल्वा
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री मतंग सिंह
मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री मुकुल वासनिक
शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री पी.के. थुंगन
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री पी.एम. सईद
जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री पी.वी. रंगय्या नायडू
विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री आर.एल. भाटिया
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री राजेश पायलट
ग्रामीण विकास मंत्रालय (बंजर भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री	कर्नल राव राम सिंह
अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एस. कृष्ण कुमार
विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री सलमान खुर्शीद
नागर विमानन एवं पर्यटन मंत्रालय (पर्यटन विभाग) में राज्य मंत्री	श्रीमती सुखबंस कौर
विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्रीमती उर्मिला सी. पटेल
ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री	श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल

उप मंत्री

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री	श्री पवन सिंह घाटोवार
गृह मंत्रालय में उप मंत्री	श्री राम लाल राही
मानव संसाधन विकास मंत्रालय(शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री	कुमारी शैलजा

लोक सभा

सोमवार, 13 फरवरी, 1995 / 24 माघ, 1916 (शक)

लोक सभा ।। बजे म. पू. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

12.35 म.प.

लोक सभा 12.35 म.प. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

राष्ट्रगान

राष्ट्रगान की धुन बजाई गई।

12.37 म.प.

राष्ट्रपति का अभिभाषण

महासचिव : मैं 13 फरवरी, 1995 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण* की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7004/95]

माननीय सदस्यगण,

संसद् के इस सत्र में मैं आपका स्वागत करता हूं।

2. इस वर्ष आपको संबोधित करते हुए मुझे यह महसूस हो रहा है कि पिछले वर्ष की हमारी आशावादिता और विश्वास सही सिद्ध हुए हैं। हमारी परिकल्पनाएं काफी हद तक साकार हुई हैं, और अब यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि सरकार की नई आर्थिक और अन्य नीतियों के फलस्वरूप देश में अपेक्षित बदलाव आने लगा है। जनता ने सामाजिक स्थिरता के प्रति अपना विश्वास खुलकर व्यक्त किया है।राजनीतिक दलों ने भी लोकतंत्र को तथा विधि-सम्मत शासन जैसे मूलभूत मूल्यों को सुदृढ़ आधार प्रदान करने के लिए अपना योगदान दिया है। हमारे देश ने विश्व-समाज में अपनी स्थिति को बेहतर बनाया है, तथा अब हमारी अर्थव्यवस्था संसार में तेजी से विकसित हो रही एक अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर सामने आ रही है।

3. वर्ष 1994-95 में कानून और व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में रही। देश में कोई बड़ा साम्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ, तथा हिंसा की घटनाएं भी अपेक्षाकृत कम रहीं। गोवा, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र में चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुए। सरकार सतर्क रहने के लिए कृतसंकल्प है—विशेष रूप से देश की एकता तथा अखण्डता के लिए संकट पैदा करने वाली अलगाववादी तथा साम्प्रदायिक ताकतों के संबंध में।

4. अयोध्या मसले के बारे में एक उल्लेखनीय बात यह है कि उच्चतम न्यायालय को जो मामला विचार के लिए भेजा गया था, उस पर उसने अपना निर्णय दे दिया है। न्यायालय ने अधिग्रहण अधिनियम की वैधता को उचित ठहराया है, किन्तु निर्णयाधीन वादों के उप-शमन से संबंधित उपबन्धों का समर्थन नहीं किया है। विवादास्पद क्षेत्र अब केन्द्र सरकार के अधिकार में है, जिसे पुनः प्रवर्तित वादों का निपटान होने तक यथास्थिति बनाए रखने के लिए अब कानूनी रिसीवर के रूप में कार्य करना है। न्यायालय के निर्णय का पालन करना अनिवार्य है। इस निर्णय में विवाद को बातचीत द्वारा सुलझाने की सम्भावना को भी स्वीकार किया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इस सुधरे हुए वातावरण में इस विवाद का स्थायी समाधान हो जाए, और हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करें कि साम्प्रदायिकता के कारण राजनीति दूषित न होने पाए।

5. जम्मू व कश्मीर के मामलों के लिए प्रधान मंत्री के अधीन एक अलग विभाग का गठन किया गया है। राज्य में विकास तथा अर्थिक कार्य-कलापों की गति तेज करने के जोरदार प्रयास किए गए हैं। सरकार ने राज्य के लिए पर्याप्त धन राशि की उपलब्धता सुनिश्चित की है, और इसकी विकास संबंधी आवश्यकताओं के लिए अपेक्षित साधन मुहैया करने के लिए वह नियमित रूप से इसकी जरूरतों का आकलन करेगी। लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं निर्धारित की जा रही हैं, तथा मतदाताओं की सूची संशोधित करने का कार्य भी निर्वाचन आयोग ने आरम्भ कर दिया है। उग्रवादियों के विरूद्ध की जाने वाली कार्रवाई में तेजी लाई जा रही है। उग्रवादियों द्वारा अमरनाथ-यात्रा में व्यवधान डालने के प्रयासों को विफल करने में भी प्रशासन सफल रहा। विकट परिस्थितियों के बावजूद सुरक्षा बल संयम से काम ले रहे हैं, तथा स्थानीय लोगों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील हैं। राजनयिकों और सांसदों के शिष्टमंडलों ने राज्य का दौरा किया, और जनता के विभिन्न वर्गों से खुलकर बातचीत की। इन सतत और स्वच्छ प्रयासों से सर्वत्र विश्वास की भावना पैदा हुई है।

6. उत्तर-पूर्व में विद्रोही गतिविधियों से दृढ़तापूर्वक निपटने की अपनी नीति पर सरकार पूरी तरह अमल कर रही है। साथ ही इस बात का भी प्रयास किया जा रहा है कि इन विघटनकारी

* राष्ट्रपति ने संसद की दोनों सभाओं के समक्ष हिन्दी में अभिभाषण किया।

तत्वों को हिंसा का रास्ता छोड़कर राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मिजोरम की सरकार ने "हमार पीपुल्स कन्वेंशन" के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। असम में भी इसी प्रकार उल्फा उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है।

7. सितम्बर, 1994 में एक करार पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद् का प्रावधान है। इस करार के प्रावधानों को शमिल करते हुए बिहार विधान सभा ने एक नया विधेयक पारित किया है।

8. उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में चल रहे आन्दोलन से उभरे मसलों के प्रति सरकार सचेत है, और उसका विश्वास है कि सभी संबंधित पक्षों द्वारा धैर्यपूर्वक और सहानुभूतिपूर्ण ढंग से काम करने पर समस्या का सर्वमान्य हल निश्चय निकल सकेगा।

9. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपना कार्य निष्ठापूर्वक कर रहा है। सरकार मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन की अपनी नीति के लिए प्रतिबद्ध है।

10. आर्थिक सुधारों के कारण अर्थव्यवस्था में बहुत प्रगति हुई है। वर्ष 1994-95 के दौरान स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद में 5.3 प्रतिशत की वृद्धि होने की आशा है, जबकि पिछले वर्ष यह वृद्धि 4.3 प्रतिशत थी। 1994-95 की पहली छमाही में उत्पादन में 8 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है, जो औद्योगिक पुनर्जीवन का संकेत है। विदेशी मुद्रा का भण्डार 31 मार्च, 1994 को 15.1 बिलियन डालर था। किन्तु यह जनवरी, 1995 के अंतिम सप्ताह में बढ़कर 19 बिलियन डालर हो गया। सरकार नियत समय से पहले ही लगभग 1.1 बिलियन डालर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को लौटाने की स्थिति में थी। औद्योगिक क्षेत्र के पुनः सुदृढ़ स्थिति में आ जाने से आयात 23.9 प्रतिशत तक बढ़ गया है। निर्यात में भी डालर के रूप में 16.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। रुपए का मूल्य स्थिर रहा, और उसे चालू खाते में परिवर्तनीय बना दिया गया।

11. सरकार कीमतों में वृद्धि से चिन्तित है - विशेष रूप से सार्वजनिक उपभोग की वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से। कीमतों की स्थिति पर कड़ी नज़र रखी जा रही है, और उपभोक्ता वस्तुओं की कमी न होने देने के उपाय किए जा रहे हैं। कुछ वस्तुओं; जैसे - चीनी और खाद्य तेल की कीमतें मुख्य रूप से अपर्याप्त घरेलू उत्पादन के कारण बढ़ी हैं। विदेशी मुद्रा की संतोषजनक स्थिति के कारण अधिक आयात करने से कीमतों में वृद्धि पर नियंत्रण रखने में सहायता मिली है। भारतीय खाद्य निगम के पास मौजूद अनाज के सार्वजनिक स्टॉक में से गेहूं व चावल की खुले बाजार में भी बिक्री की गई है। आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं पुनर्व्यवस्थित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस दिशा में आगे और प्रयास किए जाएंगे। देश में खाद्य सुरक्षा की स्थिति सुदृढ़ बनाने के लिए किसानों को लाभप्रद न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित कराए जाते रहेंगे। जहां तक आवश्यक वस्तुओं का संबंध है, सरकार पर्याप्त उपलब्धता और उचित मूल्य सुनिश्चित करने के दोहरे उद्देश्य प्राप्त करने के लिए प्रयास करेगी, जिसमें गरीबों को अतिरिक्त रियायतें दी जाएंगी।

12. उद्योगों को व्यापक रूप से नियंत्रणों से मुक्त करने का उद्यमियों ने सराहनीय स्वागत किया है। जुलाई, 1991 से अब तक 17,000 से भी अधिक निवेश संबंधी मंतव्य प्राप्त हुए हैं, जिनमें कुल 3 लाख 50 हजार करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होगा, तथा इससे 34 लाख व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। लगभग 20 प्रतिशत निवेश संबंधी मंतव्यों को अब तक कार्यान्वित किया जा चुका है, और अन्य 20 प्रतिशत प्रस्ताव कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। इनसे 14 लाख व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने का अनुमान है। हमारी प्रमुख वित्तीय संस्थाओं ने वर्ष 1994 में अप्रैल से दिसम्बर माह के बीच पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 39 प्रतिशत अधिक राशि का संवितरण किया। इस दिशा में देश में जो पहल की गई, उससे विदेशी निवेशकों और सहयोगकर्त्ताओं में भी निवेश के प्रति रूचि जागृत हुई है। विदेशी निवेशकों ने भारतीय साझीदारों के कौशल और संसाधनों में जो विश्वास प्रकट किया है, वह इसी बात से स्पष्ट है कि विदेशियों ने संयुक्त उद्यमों में 80 प्रतिशत तक सीधे पूंजी निवेश किया है। वर्ष 1991 से आज तक प्रत्यक्ष विदेशी संचयी निवेशों की अनुमोदित राशि 20,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गयी है। इसमें से अधिकांश राशि का निवेश लम्बी अवधि वाली आधारभूत संरचना संबंधी परियोजनाओं में किया गया है। अन्य क्षेत्रों में भी सुधार लाने और विनियमों से मुक्ति देने की सरकार की नीति जारी रही। नई औषधि नीति तथा दूरसंचार नीति इसी दिशा में उठाए गए कदम हैं।

13. लघु उद्योग क्षेत्र हमारी औद्योगिक संरचना का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका उत्पादन स्तर 2 लाख 41 हजार 648 करोड़ रुपए है, जिससे 1 करोड़ 39 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। पिछले वर्ष इसमें 7.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस क्षेत्र द्वारा निर्यात की राशि लगभग 24,000 करोड़ रुपए है, जो कुल निर्यात का लगभग 35 प्रतिशत है। इस क्षेत्र की क्रेडिट संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्ग निर्देश जारी किए हैं। इसमें ऐसे 85 जिलों में; जहां लघु क्षेत्र इकाइयां संकेन्द्रित हैं, "सिंगल विंडो स्कीम" को अपनाना, और विशेष बैंक शाखाओं की स्थापना करना शामिल है। सरकार इस क्षेत्र को प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए उदारतापूर्वक सहायता देकर और अधिक बढ़ावा देगी।

14. प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने खादी और ग्रामीण उद्योगों को सुधारने, और पुनरूज्जीवित करने के लिए एक कार्य योजना को मंजूरी दी है, जिससे 20 लाख अतिरिक्त लोगों को रोजगार मिलेगा। एक विशेष रोजगार कार्यक्रम 50 चुने हुए जिलों में प्रारम्भ किया जाएगा, तथा देश के 125 ब्लाकों में गहन विकास को बढ़ावा दिया जाएगा।

15. शिक्षित युवाओं को रोजगार दिलाना सरकार की एक मुख्य प्राथमिकता है। 2 अक्तूबर, 1993 से प्रारम्भ हुई प्रधान मंत्री रोजगार योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में युवाओं को स्व-रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना था। अब इस वर्ष से इस योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रारम्भ कर दिया गया है। चालू वर्ष में इस कार्यक्रम से 2 लाख 30 हजार शिक्षित युवाओं को लाभ पहुंचेगा, जबकि पिछले वर्ष इससे 31 हजार 797 युवा लाभान्वित हुए थे। बैंकों ने 31 दिसम्बर, 1994 तक 69,483 उद्यमियों को ऋण मंजूर किए। सरकार 7 लाख युवकों को ऋण प्रदान करेगी, जिससे आठवीं योजना की अवधि समाप्त होने से पूर्व रोजगार के 10 लाख अवसर प्राप्त होंगे।

16. पोषक तत्वों के रूप में नाइट्रोजनीय उर्वरकों का उत्पादन वर्ष 1994-95 में 78 लाख 20 हजार मीट्रिक टन तक पहुंचने की आशा है, जो अपने आप में एक रिकार्ड है। पोषक तत्व के रूप में फास्फेटिक उर्वरक का उत्पादन; जो वर्ष 1993-94 में 18 लाख 50 हजार मीट्रिक टन था, उसके वर्ष 1994-95 में बढ़कर 23 लाख मीट्रिक टन तक हो जाने की संभावना है। सरकार देश में उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। पांच नए संयंत्रों में शीघ्र ही उत्पादन आरम्भ होने वाला है।

17. सरकार कृषि क्षेत्र के विकास को उच्च प्राथमिकता दे रही है। खाद्यान्नों का उत्पादन पिछले वर्ष 18 करोड़ 20 लाख मीट्रिक टन था, जिसके चालू वर्ष में बढ़कर 18 करोड़ 50 लाख मीट्रिक टन होने की आशा है। वर्ष 1993-94 में 15.100 करोड़ रुपए के कृषि ऋण का संवितरण किया गया। वर्ष 1994-95 में इस ऋण के 16,700 करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना है। वर्ष 1994-95 में 27 लाख 70 हजार हेक्टेयर भूमि के और सिंचित हो जाने की संभावना है, जिससे कुल सिंचित क्षेत्र बढ़कर 8 करोड़ 78 लाख 20 हजार हेक्टेयर हो जाएगा। अनुमान है कि वर्ष 1994-95 में उर्वरक पोषक तत्वों की खपत 1 करोड़ 36 लाख मीट्रिक टन होगी, जो कि वर्ष 1993-94 की खपत की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक है।

18. सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बागवानी और मत्स्य उद्योग जैसे व्यवसायों से अधिक आय अर्जित कराने के लिए विविध योजनाओं को बढ़ावा दे रही है। इसीलिए वर्तमान पंचवर्षीय योजना में बागवानी के लिए 1,000 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है, जबकि पिछली पंचवर्षीय योजना में इसके लिए केवल 24 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए थे। वर्ष 1993-94 में मत्स्य उत्पादन 46 लाख 80 हजार मीट्रिक टन था, जो कि अपने आप में अब तक का एक रिकार्ड है। वर्ष 1994-95 में इसका उत्पादन 47 लाख 50 हजार मीट्रिक टन तक पहुंचने की संभावना है। पिछले पांच वर्षों में कृषि उत्पादों के निर्यात में तीन गुणा वृद्धि हुई है।

19. सरकार के विकास संबंधी समस्त प्रयासों का केन्द्र बिन्दु ग्रामीण विकास है। सुस्पष्ट लक्षित ग्रामीण विकास कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार की रोजगार नीति के आधारस्वरूप हैं। पिछले तीन वर्षों में ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए केन्द्रीय योजना के आबंटन में निरंतर वृद्धि हुई है। चालू वर्ष में इस कार्य के लिए 7,010 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं, जो हमारी योजना के इतिहास में अब तक आबंटित सर्वाधिक राशि है। इतनी बड़ी राशि के परिव्यय से अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध होंगे, तथा बड़े पैमाने पर संस्थागत वित्त जुटाकर स्व-रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। जवाहर रोजगार योजना एवं रोजगार आश्वासन योजना के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए 5,055 करोड़ रुपए का प्रावधान है। चालू वर्ष में रोजगार आश्वासन योजना के लिए 1,200 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। चालू वर्ष में इस कार्यक्रम को बढ़ाकर देश के सबसे अधिक पिछड़े 2,279 ब्लॉकों में प्रारम्भ कर दिया गया है, जबकि पहले यह केवल 1,778 ब्लाकों में था। जवाहर रोजगार योजना के अतिरिक्त एक गहन रोजगार योजना कार्यक्रम लम्बे अर्से से 120 पिछड़े जिलों में चल रहा है। इन सभी योजनाओं से चालू वर्ष के दौरान रोजगार के 147 करोड़ श्रम दिवस उपलब्ध होने की संभावना है।

20. परिसम्पत्ति एवं ऋण पर आधारित एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत इस वर्ष से लगभग 20 लाख गरीब ग्रामीण परिवार स्व-रोजगार पा सकेंगे। जिला और ब्लाक स्तर की ऋण योजनाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित किया जा रहा है, तथा प्रति परिवार औसत निवेश को बढ़ाकर 12,000 रुपए किया जा रहा है। 1,098 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता के माध्यम से 2,000 करोड़ रुपए का संस्थागत ऋण जुटाया जाएगा। ये कार्यक्रम ग्रामीण शिक्षित युवा वर्ग की आवश्यकताओं को अधिकाधिक पूरा करेंगे। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास संबंधी कार्यक्रम का विस्तार सभी जिलों में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम से महिला ग्रुपों को अब तक दी जाने वाली 15,000 रुपए की राशि के स्थान पर 25,000 रुपए की राशि दी जाएगी, ताकि वे आर्थिक क्रियाकलाप शुरू कर सकें, और साक्षरता एवं परिवार कल्याण जैसे कार्यों को ग्रुपों में करने की प्रवृत्ति विकसित हो सके। इससे महिलाओं को और अधिक सक्षम बनाया जा सकेगा।

21. अप्रैल, 1994 तक की निर्धारित अवधि में सभी राज्यों ने अपने मौजूदा पंचायती राज कानूनों को संशोधित कर लिया है, या नए कानून बना लिए हैं। अब यह आवश्यक है कि सभी जगह चुनाव कराए जाएं, और सभी स्तरों पर पंचायतों का गठन किया जाए। कुछ राज्यों में इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पंचायतों को वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए। मैं सभी राज्यों का आह्वान करता हूं कि वे पंचायतों की चुनाव प्रक्रिया अविलम्ब पूरी करें।

22. सरकार शहरों में गरीबी की समस्या से निपटने के लिए एक एकीकृत कार्यक्रम की आवश्यकता अनुभव करती है। इस कार्यक्रम में शहरों के सभी प्रकार के कूड़ा-करकटों को वैज्ञानिक तरीके से नष्ट किया जाना भी शामिल है। इस कार्यक्रम को तैयार करने और कार्यान्वित करने में स्वयंसेवी संगठनों का भी भरपूर सहयोग लिया जाएगा। सरकार देश के 50,000 से 1 लाख तक की जनसंख्या वाले श्रेणी -II के 345 शहरों के लिए एक योजना बनाने पर विचार कर रही है।

23. अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के प्रति राज्यों की प्रतिक्रिया उत्साहजनक रही है। इस दिशा में राज्यों के प्रयासों का गति प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने इस वर्ष राज्यों को 273 करोड़ 85 लाख रुपए आबंटित किए हैं। पिछले वर्ष सफाई कर्मचारियों को इस कार्य से मुक्त कराने; तथा उनके पुनर्वास संबंधी कार्यक्रमों की निगरानी करने के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया गया, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण कदम था। यह आयोग प्रशिक्षण देने, अधिकाधिक संस्थागत वित्त जुटाने जैसे पुनर्वास कार्यक्रम चलायेगा तथा यूनिट लागतों के परिवर्धन की आवश्यकता पर विचार करेगा।

24. "राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम" के माध्यम से मार्जिन राशि और ऋणों का प्रावधान करके गरीबों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने, तथा उनका विस्तार करने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। इस क्रम में इसकी अधिकृत शेयर पूंजी 125 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए कर दी गई है।

25. भारत सरकार ने सितम्बर, 1993 में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी सेवाओं में 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने की दिशा में पहला कदम उठाया था, जिसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसका पूरा लाभ अन्य पिछड़े वर्गों को मिले, सरकार ने अन्य पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों को अपेक्षित मानकों में ढील दी है, जिस प्रकार की सुविधा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उपलब्ध थी। परिणामस्वरूप वर्ष 1994 की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में अन्य पिछड़े वर्गों के 1,873 अतिरिक्त उम्मीदवारों ने अर्हता प्राप्त की। सरकार ने आयु में तीन वर्ष की छूट देने के नियम को लागू करने, तथा इस परीक्षा के लिए तीन अतिरिक्त प्रयासों की अनुमति देने का भी निर्णय लिया है।

26. अल्पसंख्यकों के पिछड़े वर्गों के आर्थिक विकास के क्रियाकलापों को बढ़ावा देने, तथा उनके तकनीकी ज्ञान एवं उद्यम-कौशल के उन्नयन के लिए 500 करोड़ रुपए की अधिकृत शेयर पूंजी के साथ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम ने सितम्बर, 1994 से कार्य आरम्भ कर दिया है। चालू वर्ष में मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को 25 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। प्रतिष्ठान ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों और ऐसे स्लमों में; जहां साक्षरता कम है, लड़कियों के लिए आवासीय स्कूल खोलेगा।

27. सरकार अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों तथा विकलांगों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कुछ नए उपायों पर विचार कर रही है। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 339(1) के अंतर्गत एक आयोग के गठन पर विचार किया जा रहा है जो अनुसूचित जातियों के कल्याण और विकास के लिए किए जा रहे जनतजातीय उपयोजना तथा अन्य उपायों की समीक्षा करेगा, ताकि इनकी कार्य नीतियों में सुधार लाया जा सके, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा रोजगार नियोजन जैसे क्षेत्रों में विकलांगों को समान अवसर प्रदान करने के लिए कानून बनाए जाएं तथा मंदबुद्धि व्यक्तियों के कल्याण और सुरक्षा के लिए न्यास बनाया जा सके।

28. महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित मामलों में सरकार का दृष्टिकोण ऐसी अनुकूल नीतियां तैयार करने का रहा है, जिनमें योजना का केन्द्रबिन्दु महिलाएं एवं बच्चे और विशेषकर बालिकाएं हों। इस योजना में महिलाओं को सक्षम बनाने, समर्थन सेवाएं प्रदान करने, तथा पोषण कार्यक्रम चलाने को प्राथमिकता दी गई है। इस बारे में उल्लेखीय उपलब्धियों में राष्ट्रीय पोषण नीति को अपनाना, राष्ट्रीय पोषण परिषद् और राष्ट्रीय शिशुगृह निधि की स्थापना करना तथा महिला समृद्धि योजना का कार्यान्वयन शामिल है। महिला समृद्धि योजना को काफी लोकप्रियता मिली है। दिसम्बर, 1994 तक 72 लाख खाते खोले जा चुके थे, जिनमें कुल जमा राशि 65 करोड़ 90 लाख रुपए थी। 8वीं योजना के अंत तक राष्ट्रीय शिशुगृह निधि से सेवारत महिलाओं और बीमार माताओं के 45,000 बच्चों की दिन में देखभाल करने के लिए 1,800 अतिरिक्त शिशुगृह खोलने में सहायता मिलेगी।

29. पूरे देश में एकीकृत बालविकास सेवा-कार्यक्रम लागू करने के लिए वर्ष 1995-96 के दौरान प्रथम उपाय के रूप में सामुदायिक पोषण केन्द्रों के माध्यम से 1 लाख गांवों में 1,000 नए ब्लाकों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव है।

30. सन् 2,000 तक "सभी को शिक्षा" प्रदान करने का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से सरकार शिक्षा पर खर्च की राशि को उत्तरोत्तर बढ़ाएगी, ताकि सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) के 6 प्रतिशत के लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। देश में इस समय 312 जिलों में पूर्ण साक्षरता अभियान चलाए जा रहे हैं, जिनमें 9 से 45 वर्ष की आयु वर्ग के लगभग 5 करोड़ शिक्षार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। पूर्ण साक्षरता अभियानों के प्रारंभ होने से अब यह लगने लगा है कि सार्वभौम प्रौढ़ साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

31. सन् 2,000 तक जोमिखपूर्ण उद्योगों में तथा सभी प्रकार के रोजगारों में क्रमिक रूप से बाल श्रम के उन्मूलन के लिए कृतसंकल्प है। शिक्षा, ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल स्वास्थ्य तथा श्रम जैसे विकास प्रशासन के प्रमुख क्षेत्रों की कार्रवाई को समन्वित करने के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन किया गया है। इससे ऐसे एकीकृत कार्यक्रम बनाए जा सकेंगे; जिनमें बालकों को रोजगार से निकालकर निश्चित रूप से स्कूलों में दाखिल कराने के लिए अनुकूल स्थितियां बन सकें।

32. आज हम महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को व्यावहारिक रूप से लागू करने के क्षेत्र में अग्रिम पंक्ति में हैं। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन (पोलर सैटलाइट लांच व्हीकल) डी2 तथा संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण वाहन (ऑगमेन्टेड सैटलाइट लांच व्हीकल)-ए.एस.एल.वी. डी4 से यह स्पष्ट हो गया है कि हम ध्रुवीय तथा पृथ्वी की समीपवर्ती कक्षाओं में उपग्रह स्थापित करने की क्षमता रखते हैं। इनसेट श्रेणी के हमारे उपग्रह दूर-संचार, दूरदर्शन -प्रसारण, मौसम तथा विनाश संबंधी चेतावनी जैसी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इस श्रृंखला में आगामी उपग्रह इनसेट 2 सी, तथा दूरसंवेदी सीरीज़ उपग्रह-आई. आर.एस. 1सी वर्ष 1995 में छोड़े जाने की योजना है। यह हर्ष की बात है कि एशिया प्रशान्त क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिक शिक्षा केन्द्र की स्थापना करने के लिए भारत का चयन किया गया है।

33. अपनी भाषा में कार्यक्रम देखने की जन अभिलाषा पूरी करने के उद्देश्य से दूरदर्शन ने अपनी उपग्रह सेवा में अनुकूल परिवर्तन कर लिया है। 14 चैनलों में से 11 उपग्रह चैनल अब केवल क्षेत्रीय भाषाओं के कार्यक्रम के लिए हैं।

34. देश परमाणु शक्ति का प्रयोग शन्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए करने का लगातार प्रयास कर रहा है। भारत में डिजाइन किया गया एवं बना छठा नाभिकीय शक्ति रिएक्टर तैयार हो गया है, जो ककरापार परमाणु शक्ति स्टेशन की दूसरी इकाई है। इसने इस वर्ष 8 जनवरी को काम करना आरंभ कर दिया है। इस प्रकार देश ने इस उन्नत प्रौद्योगिकी में एक बार फिर आत्मनिर्भरता का प्रमाण दिया है। नाभिकीय प्रौद्योगिकी के प्रयोग से और भी उपलब्धियां हुई हैं; जैसे-नाभिकीय ग्रेड [illegible] का उत्पादन, मैडिकल लेसर का निर्माण तथा समानान्तर सुपर कंप्यूटर का विकास आदि।

35. हमारी सशक्त सेनाएं हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं तथा समुद्री हितों की रक्षा करने में सतर्क रही हैं। उन्होंने जम्मू व कश्मीर तथा उत्तर-पूर्व में विद्रोह को दबाने के कार्य में बड़ा योगदान दिया है।

36. हमारी स्थल सेना ने, भारतीय वायुसेना और नौसेना के कौशलपूर्ण सहयोग से, सोमालिया में शान्ति बनाए रखने के संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों में अपने योगदान के लिए, विशेष रूप से युद्धरत सेनाओं को पीछे हटाने में जो सफलता प्राप्त की है उसकी विदेशों में भूरि-भूरि सराहना हुई है।

37. अंतरराष्ट्रीय संबंधों को बनाए रखने की दिशा में पिछला वर्ष संतोषजनक रहा। पूरे विश्व में मौजूदा मैत्री संबंधों में प्रगाढ़ता आई है, और हमारे उद्देश्यों एवं नीतियों के प्रति नई समझ पैदा हुई है।

38. संयुक्त राष्ट्र इस वर्ष अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए हमारा निरन्तर समर्थन रहा है, क्योंकि यह मानवता के समान लक्ष्यों की प्राप्ति का सर्वाधिक प्रभावी माध्यम है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जो पहल की है, उसमें विश्व संगठन का लोकतंत्रीकरण तथा समसामयिक वास्तविकताओं को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की सदस्य संख्या बढ़ाना शामिल है। हमने शीतयुद्ध के बाद की विश्व की समस्याओं पर विचार करने के लिए चौथे विशेष निरस्त्रीकरण सत्र का प्रस्ताव रखा है।

39. हम अगले वर्ष अप्रैल में अपने देश में अगला सार्क सम्मेलन आयोजित करेंगे, तथा क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत बनाने के लिए अपने सार्क सहयोगियों के साथ मिलकर काम करेंगे।

40. पिछले वर्ष हमने पड़ोसी देशों के साथ परस्पर घनिष्ठ संबंध स्थापित करने की ओर निरन्तर ध्यान दिया है। हम उन नई सरकारों का स्वागत करते हैं, जो श्रीलंका तथा नेपाल में बहुदलीय लोकतांत्रिक चुनावों के माध्यम से सत्ता में आई हैं। हम उनके साथ, तथा अन्य सभी पड़ोसी देशों के साथ घनिष्ठ संबंध और अधिकाधिक सहयोग चाहते हैं।

41. परन्तु खेद की बात है कि पाकिस्तान अभी भी भारत के साथ टकराव के मार्ग पर चल रहा है और हमारे अंदरूनी मामलों में उनका अनुचित हस्तक्षेप जारी है। हमने दोनों देशों के बीच

अनसुलझे मुद्दों को शिमला समझौते के अनुसार सुलझाने की दिशा में बार-बार पहल की है। बातचीत के लिए हमारी पेशकश अभी भी बरकरार है। हमें खेद है कि इस बीच पाकिस्तान ने बम्बई में अपना कार्यालय तथा कराची में भारतीय महाकांसुलावास बंद करने के इकतरफा कदम उठाए हैं। ऐसा करके उसने लोगों के आपसी संपर्क और वाणिज्यिक, सांस्कृतिक तथा अन्य संबंधों में और अधिक रूकावटें पैदा की हैं।

42. सरकार ने अपने पुराने और नए विदेशी मित्रों के साथ पारस्परिक समझ और सहयोग सुदृढ़ करने के प्रयास किए हैं। बल्गारिया और रूमानिया की मेरी राजकीय यात्राओं से वे घनिष्ठ संबंध फिर से ताजे हुए हैं, जो भारत तथा पूर्वी यूरोप के देशों के मध्य अनेक दशकों से चले आ रहे हैं।

43. हमारे उप-राष्ट्रपति ने आस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और चीन की यात्राएं कीं, और इन यात्राओं से इन देशों के साथ हमारे संबंध और अधिक मजबूत हुए हैं।

44. प्रधान मंत्री की ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वियतनाम और सिंगापुर की यात्राओं से इन देशों के साथ हमारे संबंधों को हर क्षेत्र में बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान मिला है।

45. अमेरिका की यात्रा से दोनों देशों के महत्वपूर्ण मसलों को आपस में अधिक अच्छी तरह से समझा जा सका है, और इससे द्विपक्षीय संबंधों में एक नया अध्याय जुड़ा है। इस यात्रा से भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक, आर्थिक और वाणिज्यक क्षेत्रों में ही नहीं; बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी परस्पर आदान-प्रदान को फिर से आगे बढ़ाने का आधार मिला है।

46. प्रधान मंत्री की ब्रिटेन, वियतनाम तथा सिंगापुर की यात्राएं इस बात का प्रमाण हैं कि हम अपने यूरोपीय तथा एशियाई सहयोगियों के साथ संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के इच्छुक हैं।

47. पिछले वर्ष के दौरान भारत-रूस संबंध और अधिक प्रगाढ़ हुए हैं, ओर उनमें गति आई है। राष्ट्रपति येल्तसिन और भारत के प्रधान मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित बहुवादी राज्यों के हितों की सुरक्षा संबंधी मास्को घोषणा दोनों देशों के संबंधों में एक उल्लेखनीय योगदान है।

48. हमने हाल ही में इस वर्ष के अपने गणतंत्र दिवस समारोह में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का मुख्य अतिथि के रूप में स्वागत किया। उनकी यात्रा से भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक नई शुरूआत हुई है।

हमारे आर्थिक प्रबंधों की सफलता; जिस पर हमारे देशवासियों की आर्थिक समृद्धि निर्भर करती है, तथा आर्थिक उदारीकरण के परिणामस्वरूप हुए लाभकारी परिवर्तनों को विदेशों में कारगर ढंग से प्रस्तुत करने के हमारे प्रयासों की विदेशों में बहुत ही अनुकूल प्रतिक्रिया हुई है।

50. इन नीतियों के कारण देश में जो गतिशीलता आई है, उसे बनाए रखना होगा, और यह सुनिश्चित करना होगा कि जो लाभ मिलने शुरू हुए हैं, उन्हें हम गंवा न दें। हमारी अर्थव्यवस्था के प्रति निवेशकर्ताओं का और आर्थिक सुधारों के प्रति जनता, विशेषरूप से विशेषाधिकारहीन जनता, का विश्वास दृढ़ करने के लिए संयुक्त प्रयास की आवश्यकता है। संसद में बहस के दौरान आपके शब्द और विचार इन दोनों बातों को प्रतिफलित और प्रभावित भी करते हैं। मुझे विश्वास है कि आप इन उद्देश्यों पर उचित ध्यान देते हुए अपने काम में अग्रसर होंगे। कार्यारम्भ के लिए आपका आह्वान करते हुए मैं आपकी सफलता की कामना करता हूं।

जय हिन्द।

12.37½ म.प.

मंत्रियों का परिचय

प्रधान मंत्री (श्री पी.वी. नरसिंह राव) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं अपने उन सहयोगियों जिन्हे हाल ही में मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है, से सभा का परिचय करवाना चाहूंगा :

श्री बूटा सिंह :	नागरीक पूर्ति मंत्री
श्री माधव राव सिंधिया :	मानव संसाधन विकास मंत्री
श्री अजित सिंह :	खाद्य मंत्री
श्री पी.ए. संगमा :	श्रम मंत्री
श्री जी. वेंकटस्वामी :	वस्त्र मंत्री
श्री पी. चिदम्बरम :	वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार
श्रीमती उर्मिला सी पटेल :	विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री मंतग सिंह :	संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

12.38 म.प.

निधन संबंधी उल्लेख

भूतपूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह और अन्य सदस्यों का निधन

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे सदन को पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, हमारे सहयोगी श्री चन्दूलाल चन्द्राकर और छह पूर्व सहयोगियों श्रीमती जोहराबेन, अकबर भाई चावड़ा, श्री मधुलिमये,

चौधरी दिलीप सिंह और सर्व श्री वी:टी. पाटिल, रोबिन सेन और टीका राम पालीबाल के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री ज्ञानी जैल सिंह देश के महान सपूत और स्वतंत्रता आंदोलन के वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने देश को विदेशी निर्भरता से मुक्ति दिलाने का कार्य किया वह देश के सामाजिक-राजनीतिक जीवन में लगभग छह दशकों तक प्रेरणा के प्रकाश पूंज रहे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की 1930-40 की उत्तेजक अवधि के दौरान उन्होंने किसाान मोर्चे में भाग लिया और 1936 में जेल गए। बाद में 1938-43 के दौरान उन्हें देश के लिए मर मिटने की गतिविधि के कारण गिरफ्तार किया गया और पांच वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई गई तथा उन्हें एकांत कोठरी में रखा गया। वर्ष 1946 में उन्होंने फरीदकोट में नेशनल फ्लैग एजीटेश चलाया और गिरफ्तारी दी।

ज्ञानी जैल् सिंह ने 1930 के दशक से अपने गृह राज्य पंजाब की राजनीति में सक्रिय रूप से हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। पटियाला और पूर्वी पंजाब संयुक्त प्रांत (पेप्सू) की पहली अंतरिम सरकार में उन्होंने 1948-49 में राजस्व मंत्री और 1951-52 में कृषि और लोक निर्माण विभाग मंत्री के रूप में कार्य किया। वह 1962 में और 1972-77 में पंजाब विधान सभा के सदस्य रहे। वह पंजाब के मुख्य मंत्री बने और इस भूमिका में उन्होंने 1972 से 1977 तक उन्होंने अपनी पूरी क्षमता के साथ राज्य की सेवा की। इसके अतिरिक्त आपने गृह राज्य में कई सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों में विभिन्न पदों पर असीन रहकर विशेष सेवाएं प्रदान की। राष्ट्र के लिए उनके द्वारा किए गए विभिन्न योगदानों में भूमि सुधार का कार्यान्वयन शामिल है।

ज्ञानी जैल सिंह एक प्रतिष्ठित सिद्धान्तवादी संसद-विद थे। वह 1956-62 की अवधि में राज्य सभा के सदस्य रहे और बाद में 1980 में सातवीं लोक सभा के लिए निर्वाचित हुए। लोक सभा में अपने अल्प कार्यकाल के दौरान वह अपनी हाजिर जवाबी उर्दू शायरी के उम्दा शेर कहकर संसदीय कार्यवाही में जीवन्तता बनाए रखते थे। वर्ष 1980 से 1982 की अवधि के दौरान केन्द्रीय मंत्रिमंडल में गृह मंत्री के रूप में उन्होंने अपनी राजनैतिक सूझबूझ और प्रशासनिक कुशलता का भरपूर परिचय दिया।

उलका लम्बा और सार्वजनिक जीवन अपनी पराकाष्ठा पर उस समय पहुंचा, जब वह जुलाई, 1982 में देश के सर्वोच्च पद पर अर्थात् राष्ट्रपति के रूप में पदासिन हुए। अपने शालीन और मानवीय दृष्टिकोण तथा शिष्ट व्यवहार से उन्होंने इस पद की गरिमा को और भी चार चांद लगा दिए। वह एक साधारण परिवार सम्बद्ध थे और अपने पूरे सार्वजनिक जीवन के दौरान उन्होंने लोगों की भलाई के लिए कार्य किया। उनमें संकट और दबाव की घड़ी में भी अपना संतुलन और समभाव बनाए रखने का महान् गुण विद्यमान था। वह भारत की मिली जुली संस्कृति की उत्कृष्ट परम्पराओं के प्रतीक थे।

ज्ञानी जैल सिंह को पंजाबी साहित्य और पत्रकारिता में गहरी रूचि थी। उन्होंने "दुखी प्रजा दी पुकार" (पंजाबी) पुस्तक लिखी। वह मोगा से प्रकाशित "नवारे चरण" के मुख्य सम्पादक थे तथा अमृतसर और पटियाला से प्रकाशित होने वाले दैनिक "खालसा सेवक" के प्रबन्ध निदेशक थे।

उनके मैत्रीपूर्ण व्यक्तित्व, मधुर स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व के कारण उनके सम्पर्क में आने वाले सभी लोग उन्हें प्यार करते थे और वह भी सभी लोगों के मित्र बन जाते थे।

बहुमुखी व्यक्तित्व के स्वामी ज्ञानी जैल सिंह ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में विभिन्न देशों की अपनी यात्राओं के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को शानदार रूप में प्रस्तुत किया। अपने धर्म-निरपेक्ष आदर्शों के लिए विख्यात ज्ञानी जी ने देश में साम्प्रदायिक सौहार्द कायम करने के लिए अथक प्रयास किए। भारत के राष्ट्रपति के गरिमापूर्ण पद से सेवा-निवृत होने के उपरान्त भी वह विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में संलग्न रहे।

भारत के राजनैतिक इतिहास के पन्नों पर उनका नाम सदैव अंकित रहेगा।

ज्ञानी जी का 78 वर्ष की आयु में 25 दिसम्बर, 1994 को चंडीगढ़ में देहान्त हो गया। उनके निधन से राष्ट्र ने एक विलक्षण प्रतिमा का धनी राजनेता, एक वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी, सच्चा लोकतंत्र वादी, सुयोग्य संसदविद्, कुशल प्रशासक और इनसे ऊपर एक सर्वप्रिय व्यक्ति खो दिया है। यद्यपि ज्ञानी जी आज हमारे बीच नहीं रहे, फिर भी आने वाले अनेक वर्षों तक वह हमारी स्मृतियों में बसे रहेंगे।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर मध्य प्रदेश के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से इस सभा के वर्तमान सदस्य थे। इससे पहले इसी निर्वाचन क्षेत्र से वह 1970-77 और 1980-89 के दौरान चौथी, पांचवीं, सातवीं और आठवीं लोक सभा के सदस्य रहे।

लगभग दो दशकों के अपने संसदीय जीवन के दौरान श्री चन्दूलाल चन्द्राकर ने विभिन्न पदों पर कार्य किया। उन्होंने 1980-82 और 1985-86 के दौरान केन्द्रीय मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री के रूप में विभिन्न महत्वपूर्ण मंत्रालयों में बड़ी कुशलतापूर्वक कार्य किया। वह विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे और विभिन्न मंत्रालयों की अनेक सलाहकार समितियों से सम्बद्ध रहे।

वह एक विख्यात सामाजिक कार्यकर्त्ता थे और उन्होंने ग्रामीण विकास के लिए सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने दलितों और जरूरतमंदों के लिये कार्य किया।

वह व्यवसाय से एक पत्रकार थे और उन्होंने स्वस्थ पत्रकारिता के विकास के लिये कार्य किया। वह 1964-70 के दौरान प्रेस एसोसिएशन आफ इण्डिया के प्रेजीडेन्ट रहे। वह अनेक वर्षों तक हिन्दी दैनिक 'हिन्दुस्तान' के सम्पादक रहे। श्री चंद्राकर को 9 ओलम्पिक और छह एशियाई खेल समारोंहो के समाचार सकलित करने का श्रेय जाता है। उन्होंने विश्व के विभिन्न देशों की आर्थिक स्थिति पर अनेक लेख लिखे।

उन्होंने अनेक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर का निधन 75 वर्ष की आयु में 2 फरवरी, 1995 को कोलिहापुरी, जिला दुर्ग में हुआ। उनकी मृत्यु से देश ने एक सक्रिय सांसद, कुशल प्रशासक और एक प्रतिष्ठित पत्रकार खो दिया है।

श्रीमती जोहराबेन अकबर भाई चावड़ा ने 1962-67 के दौरान तीसरी लोक सभा के सदस्य के रूप में गुजरात के बनासकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

वह एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता और व्यवसाय से कृषक थी। महात्मा गांधी की एक निकट सहयोगी के रूप में उन्होंने अपने क्षेत्र की गरीब जनता के स्वास्थ्य में सुधार और उनके कल्याण के लिए अथक कार्य किया था और उन्होंने गुजरात में बनासकांठा के थोराड जिले में समाज कल्याण परियोजना के अध्यक्ष रूप में भी कार्य किया।

उन्होंने सदन की कार्यवाहियों में सक्रिय रूप से भाग लिया। 20 दिसम्बर 1994 को 71 वर्ष की आयु में अहमदाबाद में उनका निधन हुआ।

श्री मधु लिमये ने तीसरी, चौथी, पांचवीं और छठी लोक सभा के लिए वर्ष 1964-70, 1973-76 और 1977-79 में बिहार के मुंगेर और बांका संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया।

श्री मधु लिमये एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई में सक्रिय रूप से भाग लिया और उन्हें जेल हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् उन्होंने गोवा मुक्ति आंदोलन में भाग लिया और पुर्तगाली शासन ने उन्हें 19 महीने के लिए जेल भेज दिया।

श्री लिमये एक जाने माने समाजवादी नेता थे और वह आचार्य नरेन्द्र देव, डा. राममनोहर लोहिया और श्री जयप्रकाश नारायण के निकट सहयोगी रहे। उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया।

वह एक योग्य सांसद थे और उन्होंने देश की विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं पर अपने विचार बड़े प्रभावशाली ढंग से रखे और सभा के वाद-विवाद में अपना बहुमूल्य योगदान दिया।

श्री लिमये को पत्रकारिता में गहरी रूचि थी और उन्होंने विभिन्न विषयों पर अनेक पुस्तकें लिखी। उन्होंने अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में अनेक लेख लिखे।

उनके भाषणों और कृतियों से उनकी अपार विद्वत्ता और संवैधानिक विधि एवं संसदीय प्रक्रिया की गहरी जानकारी का पता चलता है।

उन्होंने काफी यात्राएं की थी। वर्ष 1947 और 1955 में उन्होंने भारतीय समाजवादी प्रतिनिधि के रूप में अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलनों में भाग लिया।

वे समाजवाद के प्रतीक थे और उन्होंने सच्चे अर्थ में सादा जीवन और उच्च विचार के सिद्धांत को अपनाया।

उनकी मृत्यु से देश ने एक महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रमुख समाजवादी विचारक और एक दुर्लभ सांसद खो दिया है।

उनका देहान्त 72 वर्ष की आयु में 8 जनवरी 1995 को नई दिल्ली में हुआ।

चौधरी दलीप सिंह 1971-77 के दौरान पांचवीं लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने बाहरी दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इससे पहले वह 1954-58 के दौरान दक्षिण दिल्ली नगरपालिका के उपाध्यक्ष तथा नगरपार्षद रहे ओर 1963-67 के दौरान नगर निगम दक्षिण जोन के चेयरमैन रहे।

पेशे से किसान होने के कारण चौधरी दलीप सिंह ने किसानों तथा कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए कार्य किया। इसके अतिरिक्त 1955 से भारत कृषक समाज का आजीवन सदस्य होने के नाते वह दिल्ली की बहुत सी लोकोपकारी संस्थाओं से विभिन्न रूपों में सम्बद्ध रहे ।

चौधरी दलीप सिंह का निधन 78 वर्ष की आयु में 13 जनवरी, 1955 को दिल्ली में हुआ।

श्री बी.टी. पाटिल ने वर्ष 1962-67 के दौरान तीसरी लोक सभा में महाराष्ट्र के कोल्हापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इसके पहले वह 1952-57 के दौरान बम्बई विधान सभा के सदस्य रहे। वह 1933-38 के दौरान दो बार कोल्हापुर नगरपालिका के अध्यक्ष भी रहे।

वह एक समर्पित सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्त्ता थे और उन्होंने किसानों और समाज के सर्वहारा वर्गों की दशा को सुधारने के लिए अथक कार्य किया। उन्होंने सहकारिता आन्दोलन के क्षेत्र में भी बहुत कार्य किया और ग्रामीण उत्थान से संबंधित अनेक संगठनों की स्थापना की।

एक शिक्षाविद के रूप में श्री पाटिल ने सुसंगठित और आदर्श संस्थानों के द्वारा, शिक्षा के संवर्द्धन के लिए, विषेषतः महिलाओं को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कार्य किया।

वह प्रिन्स शिवाजी एज्यूकेशन सोसायटी के संस्थापक प्रेजीडेन्ट थे और उन्होंने विभिन्न शैक्षिक और सामाजिक संस्थाओं में विभिन्न पदों पर कार्य किया।

श्री पाटिल पत्रकारिता में गहन रूचि लेते थे और वह 'पुधारी' नामक एक अग्रणी स्थानीय दैनिक समाचारपत्र के संस्थापक सम्पादक थे।

उनका निधन 93 वर्ष की आयु में 17 जनवरी, 1955 को कोलापुर में हुआ।

श्री रोबिन सेन ने 1971-79 के दौरान पांचवीं और छठी लोक सभा में पश्चिम बंगाल के आसनसोल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री सेन का विख्यात राजनैतिक कार्यकर्त्ता और ट्रेड यूनियन नेता थे और उन्होंने पश्चिम बंगाल में लेफ्ट विंग ट्रेड यूनियन मूवमेंट में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने 1940-43 के दौरान छात्र आन्दोलनों में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। वह स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व और स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् अपनी राजनैतिक और ट्रेड यूनियन गतिविधियों के कारण अनेक बार जेल गये।

श्री सेन का निधन 72 वर्ष की आयु में 19 जनवरी, 1995 को बर्दवान में हुआ।

श्री टीका राम पालीवाल ने 1962-67 के दौरान राजस्थान के हिंडौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इससे पहले वह 1957-58 के दौरान राजस्थान विधान सभा के सदस्य थे और अप्रैल, 1958 में राज्य सभा के सदस्य रहे।

श्री पालीवाल एक महान स्वतन्त्रता सेनानी थे और उन्होंने 1930 और 1932 में सत्याग्रह आन्दोलन में भाग लेने के लिये अच्छी भली चल रही अपनी वकालत के पेशे को छोड़ दिया और अनेक बार जेल गये।

श्री पालीवाल ने एक योग्य प्रशासक के रूप में मार्च से नवम्बर, 1952 तक राजस्थान के प्रथम मुख्य मंत्री और 1952-54 के दौरान राजस्थान के उप मुख्य मंत्री के रूप में कार्य किया।

श्री पालीवाल का निधन 86 वर्ष की आयु में 8 फरवरी, 1995 को जयपुर में हुआ ।

हम इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। मुझे विश्वास है कि यह सभा शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करने में मेरे साथ है।

प्रधान मंत्री (श्री पी.वी. नरसिंहराव) : महोदय, मैं अपने भूतपूर्व यशस्वी राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह से सम्बन्धित संवेदना प्रस्ताव से अपने को सम्बद्ध करता हूं। हम उन्हें उनके विभिन्न गुणों के लिये याद करते हैं और हमने विभिन्न अवसरों पर और ऐतिहासिक क्षणें में मिल-जुल कर कार्य किया था हम उनकी मृत्यु पर दुःख व्यक्त करते हैं। राष्ट्रपति के रूप में पदमुक्त होने के बाद भी हमें उनकी कमी महसूस होती रही। हर महत्वपूर्ण अवसर पर उनकी उपस्थिति महसूस होती थी। वास्तव में इस बात पर विश्वास नहीं होता कि वह अब हमारे बीच नहीं रहे। वे अत्यधिक कठिन समय में गृह मंत्री थे और इसके बाद वे राष्ट्रपति बने। उनके राष्ट्रपतित्व काल के दौरान देश अनेक बार मुश्किलों से गुजरा लेकिन उन्होंने देश के संवैधानिक प्रमुख होने के नाते इन मुसीबतों पर काबू पाया। हमने उनसे कई बार चर्चा की वह हमेशा अपने मत पर दृढ़ रहते थे लेकिन इसके साथ ही तत्कालीन सरकार की सलाह को भी स्वीकार कर लेते थे। हम उन्हें याद करते हैं और शोक संतप्त परिवार को अपनी संवेदना भेजते हैं।

श्री मुथ लिमये को हमने न केवल एक विचारक, लेखक और सांसद के रूप में खोया है बल्कि मुझे व्यक्तिगत रूप से भी हानि हुई है। वह मेरे निकट सहयोगी थे और निजाम के विरूद्ध संघर्ष के दौरान हमारे सम्बन्ध बड़े मधुर थे। मैं व्यक्तिगत रूप से उनकी मृत्यु से दुखी हूं।

हमारे अन्य जिन सहयोगियों की मृत्यु हुई है उनके बारे में आपने जो कुछ कहा है मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं और हम उनके शोक संतप्त परिवार को अपनी संवेदना भेजते हैं।

महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, भरोसा नहीं होता कि श्री चन्दू लाल चन्द्राकर अब हमारे बीच में नहीं हैं। कभी-कभी ऐसा लगता है कि वे अपने स्थान पर खड़े हो जायेंगे और बहुत ही शांत, सहज और स्वाभाविक ढंग से अपनी बात कहते हुए मुस्कराकर अपनी जगह ले लेगें। लेकिन वह जगह शायद भरेगी नहीं। मृत्यु के रूप में जीवन का एक कठोर सत्य हमारे सामने खड़ा है।

पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह का देहांत जिन दुखद परिस्थितियों में हुआ, वे हृदय को विदीर्ण करने वाला है। राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर रहने वाले ज्ञानीजी, जिन्होंने केन्द्र में गृह मंत्री और पंजाब में मुख्य मंत्री के दायित्व को भली-भांति निभाया था, वे एक सड़क दुर्घटना का शिकार होकर, निशाना बनकर हमारे बीच में से उठ गये। यह हमारी सारी व्यवस्था पर एक तीखी टिप्पणी है। ज्ञानीजी जिस तरह से फरीदकोट के एक छोटे से गांव से उठकर भारतीय गणतन्त्र के राष्ट्रपति पद तक पहुंचे, वह एक व्यक्ति की जीवन गाथा नहीं है, यह इस देश के पराधीनता के बाद स्वाधीनता होने वाले और क्षमताओं से भरे राष्ट्र की एक गाथा और कहानी है। कारागार की काल कोठरी में उन्होंने वर्षों बिताये। लेकिन धीरे-धीरे प्रयत्नपूर्वक सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए उन्नति के शिखर की ओर बढ़ते हुए ज्ञानीजी हम सबके लिए आदर के सबसे बड़े स्थान तक पहुंचे।

1.00 म.प.

सारा जीवन उनका जूझते हुए बीता शिक्षा के सौभाग्य से वे वंछित रहे। पश्चिम के तौर तरीके अपनाने का भी उन्हें मौका नहीं मिला, मगर देश की मिट्टी से जुडा हुआ व्यक्ति, समाज के स्नेह का अधिकारी बनकर किस तरह से न केवल शासन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर सकता है मगर सबके आदर का, स्नेह का पात्र भी हो सकता है, यह ज्ञानी जी के जीवन से हमने देखा।

अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने उल्लेख किया और प्रधान मंत्री जी ने भी कहा, बड़े कठिन काल में उन्होंने राष्ट्रपति पद की बागडोर को संभाला। उनके कई निर्णयों से किसी का मतभेद भी हो सकता है। लेकिन अंत में वे अपने दायित्व का निर्वाह करके ले गए, यह भी इतिहास का एक तथ्य है। अवकाश प्राप्त करने के बाद वह थके हुए नहीं दिखाई देते थे। वह जिन्दादिल थे, जहां बैठते थे रौनक करते थे। लोक सभा में भी गृह मंत्री के नाते उनसे जो नोक-झोक होती थी, वह नोक-झोक संसदीय कार्य के पाठको के लिए पढ़ने लायक चीज है। ज्ञानी जी अगर कभी भूल से कुछ कहते थे और किसी को चोट लग जाती थी तो उसको संभाल भी लेते थे, घाव पर मरहम रखना भी

जानते थे, हंस कर बात को टाल जाते थे। मगर उन की बुद्धि में भारत की ग्राम्य चेतना जिस तरह से प्रस्फुटित हुई थी, वह सचमुच मे देखने लायक बात थी। आज यह हमारे बीच में नहीं हैं। शोक संतप्त परिवार के प्रति हम सब लोग संवेदना प्रकट करते हैं।

श्री मधु लिमये का देहावसान भी कुछ आकस्मिक ही हुआ। जीवन भर जो व्यक्ति जन-जागरण के लिए जूझता रहा, वह दो दिन की बीमारी में हमारे बीच में से उठ गया। उनका जाना भी अप्रत्याशित ही था। श्री मधु लिमये के साथ मुझे इस सदन में, सदन के बाहर राजनैतिक क्षेत्र में काम करने का बहुत मौका मिला था। वह दोनों साम्राज्यवादी से लड़े। अंग्रेजी साम्राज्यवाद से भी और पुर्तगाली साम्राज्यवाद से भी। जेल की लंबी यातना सही। उसी में उन्होंने अध्ययन करने का और विश्लेषण करने का गुण अर्जित किया। कुछ आदर्शों के प्रति उनकी आस्था थी। कुछ विचारों के लिए वह प्रतिबद्ध थे। प्रखर चिन्तक थे। कठोर स्पष्टवादी थे। ऐसे स्पष्टवादी, कि कभी कभी उनकी स्पष्टवादिता विवादो को खड़ा कर देती थी। मगर जो बात वे कहना चाहते थे, वह कह देते थे। अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है कि संसद में कोई संविधान की पेचीदा समस्या हो, कोई नियमों से उलझा हुआ सवाल हो, श्री मधु लिमये जब उत्तर से प्रवेश करते थे तो अपने साथ संदर्भ-ग्रन्थों का एक पूरा पहाड़ लेकर आते थे, जिस पहाड़ को देखने मात्र से लगता था कि आज दो दो हाथ होने वाले हैं और सदन को तो कठिनाई होती ही थी, कभी-कभी अध्यक्ष महोदय भी अपने लिए मुश्किल पाते थे। लेकिन वह अध्ययन करके आते थे। अपने पक्ष को तर्कसम्मत ढंग से प्रस्तुत करते थे। अब तो उस तरह का अध्ययन दुर्लभ हो गया है।

लेकिन उन्होंने चिन्तन और आचरण दोनों का मेल करके दिखाया। वे जन्मे थे पूणे में लेकिन बिहार से लोक सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। स्पष्ट है कि तब जन्म और जाति का इतना प्रभाव नहीं था। विचारों के आधार पर लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते थे। ये जिस क्षेत्र से चुने गए उसके साथ न्याय भी किया।

आखिरी वक्त तक वे लिखते रहे थे देश की वर्तमान समस्याओं के बारे में, भविष्य के बारे में। जिस दिन उनकी मृत्यु का समाचार छपा, उसी दिन हिन्दुस्तान टाइम्स में उनका एक लेख छपा। उससे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन निरन्तर चिन्तन और चिन्ता तथा मित्रों के साथ आखिरी वक्त में भी मैत्री निभानां उनकी विशेषता रही।

मधु जी का आधुनिक राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान है। हम आशा करते हैं कि श्रीमती चम्पा बाई लिमये और उनके सुपुत्र मधु जी की परम्परा को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगे।

अध्यक्ष महोदय, श्रीमती जोहराबेन, चौधरी दिलीप सिंह, श्री बी. टी. पाटिल, श्री रोबन सेन और श्री टीका राम पालीवाल सबको मैंने निकट से देखा है। उनके साथ मैंने काम करने का अवसर पाया था। वे हमारे बीच में से उठ गए। उनके सम्बन्ध में आपने और प्रधान मंत्री ने जो कुछ कहा है उसके साथ मैं अपने को सम्बद्ध करना चाहता हूं। अपनी पार्टी की ओर से और अपनी ओर से मैं सभी दिवंगत महानुभावों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारी भावनाओं को उनके शोक संपदा परिवार तक पहुंचा दे।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, आपने, सदन के नेता और विपक्ष के नेता ने जो सम्वेदना व्यक्त की है प्रत्येक दिवंगत नेता के प्रति, मैं भी अपनी पार्टी जनता दल की ओर से उसमें शामिल होकर उसका समर्थन करना चाहता हूं और इसमें ज्ञानी जी, लिमये जी, चन्दूलाल चन्द्राकर जी, ये सब ऐसे थे कि हम सबको उनके नेतृत्व में काम करने का अवसर मिला था और जैसा कि अटल जी ने कहा, ज्ञानी जी को हम लोग भुला नहीं पा रहे हैं। वे न सिर्फ एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे बल्कि ज्ञानी जी को कोई भी आदमी देखने से ही महसूस करता था कि वे एक ऐसे व्यक्ति थे कि गरीब से गरीब परिवार में पैदा होकर भी ऊचें से ऊचें शिखर तक जा सकते हैं। राजा बनने के लिए राजा परिवार में पैदा होना जरूरी होता है, लेकिन प्रजातंत्र में बड़े से बड़े पद तक जाने की अगर कोई मिसाल थी तो वह ज्ञानी जी की मिसाल थी।

जब वे गृह मंत्री के पद पर थे, तो आप जानते ही हैं कि गृह मंत्री का पद कितना महत्वपूर्ण एवं चुनौतियों भरा होता है। उस समय की एक बात मुझे याद आ रही है। बहस चल रही थी और वे किसी बात पर हंस रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि ज्ञानीजी क्या आपको दुख नहीं हो रहा है, इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, तो उन्होंने कहा कि राम विलास जी आप क्या चाहते हैं कि भारत का गृह मंत्री रोता रहे? जो काम करना है गवर्नमेंट कर रही है। यह एक एग्जाम्पल है।

जब वे राष्ट्रपति पद से हट गए उसके बाद भी जब भी कोई गरीब की समस्या हो, चाहे वह पिछड़े वर्ग का मामला हो और चाहे दलित का मामला हो, वे हमेशा साथ रहे और समस्या को सुनकर उसका माकूल उतर दिया। जब वे राष्ट्रपति थे, तो 5 साल तक जनता को वास्तव में लगा कि राष्ट्रपति भवन जनता का है। उसके बाद न कभी था और न उसके पहले कभी रहेगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब राष्ट्रपति भवन में घुसता था, तो वह महसूस करता था कि राष्ट्रपति जनता का है। आज वे हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने देश को जो मार्गदर्शन दिया वह अविस्मरीणीय रहेगा।

श्री मधु लिमये जी हम लोगों के नेता थे। मेरे जैसा आदमी जब राजनीति में आया तथा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ज्वाइन की तब मधु जी, ठाकुर जी व जोशी जी जैसे लोग थे। अभी अटल जी ने ठीक कहा कि उस समय जाति या धर्म के आधार पर राजनीति नहीं होती थी, विचारों के आधार पर राजनीति होती थी। हमे इस बात की खुशी थी कि मधु जी ब्राहमण परिवार के होते हुए भी हमेशा दलितों के कल्याण के लिए लड़े। उन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर के चरित्र का उद्धरण किया। हम किसी बात को बोले या नहीं लेकिन मधु जी उसे बोल देते थे, लिख देते थे। उन्हीं लोगों के कारण हमें कभी-कभी यह एहसास होता है कि जब तक मुध लिमये जैसे लोग इस देश में पैदा होंगे और किसी भी जाति या वर्ग से ऊपर उठकर समाज के हर वर्ग के लोगों के साथ न्याय करने का काम करेंगे,

तब तक देश में जातिगत विषमता या युद्ध नहीं पनपेगा। उनमें एक प्रतिभा थी। वे केवल राजनेता ही नहीं थे बल्कि हर गुण से संपन्न थे। वे लेखक भी थे, विश्लेषणकर्ता भी थे। उन्होंने ढेरों किताबे लिखी। अंतिम समय मुझे उनके साथ अस्पताल में दो दिन रहने का मौका मिला। उस समय भी हमको एहसास नहीं था कि वे नहीं रहेगे। उनको दमे की बीमारी थी, सांस की बीमारी थी। हमने सोचा कि वे ठीक हो जायेंगे। लेकिन काल के गाल से कोई भी बच नहीं पाया। वे हम लोगों को छोड़कर चले गये। उन्होंने जो एक विचार, आदर्श छोड़ा है, वह हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करेगा।

चन्दूलाल चन्द्राकर साहब भी आज हमारे बीच में नही हैं। उनके मन में पिछड़े वर्ग के लोगों के प्रति बहुत आदर का भाव था। ये सारे नेता न सिर्फ आईडियलिस्ट थे बल्कि इन लोगों ने आजादी की लड़ाई में स्वयं भाग लिया था। वे देश की नस-नस से, देश की जमीन से परिचित थे।

श्रीमती जोहराबेन अकबर भाई चावड़ा, चौधरी दलीप सिंह, श्री बी.वी. पाटिल, श्री रोबिन सेन, श्री टीका राम पालकीवाला जैसे नेता आज हमारे बीच में नहीं है। मैं एक बार फिर आपके और सदन के नेता के साथ अपने को जोड़ता हूं और उनके प्रति शोक श्रद्धाजलि अर्पित करता हूं। अपने दल की ओर से और आपके माध्यम से उनके परिवार के प्रति संवेदना भेजने का आग्रह करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, अपने दल और अपनी ओर से हम देश के कई महान सपूतों के निधन पर शोक व्यक्त करते हैं।

ज्ञानी जैल सिंह ने अपनी उपलब्धियों, इस देश के आम लोगों की समर्पित सेवा और एक योग्य प्रशासक के रूप में स्वातन्त्रयोत्तर भारत के इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। अपनी योग्यता और इस देश के लोगों की समर्पित सेवा द्वारा उन्होंने साधारण परिवार में जन्म लेकर देश के सर्वोच्च पद को सुशोभित किया। वह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गृह मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल अत्यन्त कठिन रहा क्योंकि वे संकट पूर्ण दिन थे किन्तु उन्होंने अपने कार्यों का निर्वहन अत्यन्त योग्यता से किया। धर्मनिरपेक्षतावादी होने के नाते वे हमारे देश की उत्कृष्ठ परम्पराओं, हमारी विरासत के प्रतीक थे। यह उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति के उनके कार्यकाल के दौरान कुछ तनाव पैदा हो गया था। उन्होंने उस परिस्थिति को स्वीकार करके उसका सामना किया और भारत के संविधान की सच्ची परम्पराओं को कायम रखा। महोदय, एक दुखद दुर्घटना के परिणामस्वरूप उनके देहावसान पर हम गहरा शोक व्यक्त करते हैं और हम उनके प्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त करते हैं।

श्री चन्दूलाल जी हमारे एक अच्छे मित्र थे और कई समितियों में एक साथ कार्य करने का हमारा सौभाग्य रहा। वह मिलनसार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, वह वास्तव में संसदीय व्यवहार की सर्वोत्तम परम्पराओं का प्रतिनिधित्व करते थे और मैं उनके देहावसान पर गहरा शोक व्यक्त करता हूं। मैं उन्हें अपना और हम सबका अच्छा मित्र मानता था।

जब मैं पांचवीं लोक सभा में पहली बार एक युवा कनिष्ठ नए सदस्य के रूप में निर्वाचित होकर इस सम्माननीय सभा में आया तो मैंने मधुजी को एक आदर्श सांसद पाया। उन दिनों श्री लिमये और श्री ज्योतिर्मय बसु- यदि मैं कहूं-लोक सभा में हावी रहा करते थे और मुझे याद है कि उस पांचवी लोक सभा में मधुजी और श्री ज्योतिर्मय बसु ने नागरवाला कांड को कैसे उजागर किया। उन्होंने संसदीय नियमों और प्रक्रियाओं का निष्ठापूर्वक पालन किया तथा कभी भी उनका उल्लंघन नहीं किया। मैंने देखा कि यद्यपि उन दिनों संसद में काफी तनाव था किन्तु उन्होंने शांति का रूख कायम रखा तथा वस्तुतः सांसद के रूप में कार्य करने के लिए हमें मार्ग-निर्देश दिया। हम कनिष्ठ सदस्यों के रूप में उनसे मिलने गए। मुझे ऐसे कई अवसरों की याद है, जब हम उनसे यह सीखने के लिए मिले कि एक अच्छा सांसद, एक उपयोगी सांसद कैसे बना जा सकता है ताकि हम सभा के सर्मुचित संचालन में योगदान दे सकें और इससे देश के लोगों की सेवा कर सकें। भारतीय राजनीति में और स्वतन्त्रता आन्दोलन में उनका स्थान स्थाई है और हम उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं।

महोदय, कामरेड रोबिन सेन श्रमिक वर्ग के एक सच्चे मित्र थे। उनके असामयिक निधन से देश के श्रमिक वर्ग ने अपना एक महान समर्थक खो दिया है। महोदय, पार्टी कम्यून उनका निवास था और पार्टी के कामरेड उनके परिवार के सदस्य थे। उन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया। अपने युवा काल, अपनी छात्रावस्था से ही उन्होंने निरंतर दलितों के लिए संघर्ष किया और उन्हें मजदूर आन्दोलन का एक महान संयोजक माना गया। उन्होंने ग्रामीण लोगों के उत्थान के लिए भी कार्य किया। वह अपने को तुच्छ व्यक्ति समझते थे, अतः उन्होंने दूसरों पर हावी होने का प्रयास कभी नहीं किया। किन्तु, उन्होंने इस देश की आम जनता की निष्ठा, गम्भीरता और समर्पण के साथ सेवा की और इसी कारण उन्होंने श्रमिक वर्ग और आम लोगों के दिलों में अपना स्थान बना लिया। जब उनका असामायिक निधन हुआ, हमने जनता में व्याप्त भारी शोक देखा और उनके अन्तिम संस्कार के समय न केवल उनके जिले की बल्कि सारे पश्चिम बंगाल की जनता बर्दवान में इकट्ठी हुई जिससे पता चलता है कि उन्होंने आम जनता के दिलों में स्थाई स्थान बना लिया था। हम उनके निधन पर भी गहरा शोक व्यक्त करते हैं।

मैं, हमारे अन्य साथियों के बारे में आपके द्वारा की गई टिप्पणियों के साथ स्वयं को तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं; और महोदय, आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी शोक संवेदनाओं को सम्बन्धित शोकाकुल परिवारों तक पहुंचा दें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं उन आठ मित्रों अथवा आठ साथियों, जिनका निधन हो गया है, के सम्बन्ध में

आपके द्वारा व्यक्त की गई शोक तथा सम्वेदना की भावनाओं के साथ स्वयं को तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं।

ऐसे मौकों पर मुझे सदा ही ऐसा लगता है कि उन्हें उनके पदों अथवा उनके द्वारा दिए गए सरकारी कार्यों के लिए नहीं बल्कि मनुष्य के नाते तथा बड़े व्यक्तित्व के धनी होने के नाते जाना जाता है, जिन्हें हम लोगों ने जाना तथा परस्पर भिन्न राजनैतिक विचारों एवं कुछ विवादों के बावजूद भी हम लोगों ने साथ-साथ काम किया।

मैं मानता हूं कि ज्ञानी जैल सिंह एक ऊंचे दर्जे के इंसान थे और मैं तो यह कहता हूं कि वह "लॉग-केबिन से व्हाइट हाउस तक" के उत्कृष्ट उदाहरण का एक भारतीय संस्करण हैं। वह एक जनप्रिय नेता थे, जिन्होंने फरीदकोट रियासत में राजशाही शासन के विरूद्ध आन्दोलन करते समय बड़ी यातनाएं झेली। लेकिन वह एक सच्चे देश भक्त थे, जो अंततः केन्द्रीय सरकार में गृह मंत्री तथा बाद में देश के राष्ट्रपति बने। उनका व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा था कि सभी उनकी प्रशंसा करते थे। वह बड़े ही मानवतावादी जिन्दादिल तथा मनोविनोदी स्वभाव के थे। संसद में वाद-विवाद के दौरान हास-परिहास की कला में वह कुशल थे और मैं किसी दुर्भावना से इन शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। वास्तव में वह एक महान व्यक्ति थे। जैसा कि सोमनाथ बाबू ने कहा, हमें अवश्य ही याद रखना चाहिए कि उनके राष्ट्रपति काल के दौरान ही वह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, जब ऐसा लगा कि राष्ट्रपति जी तथा तत्कालीन सरकार के बीच एक गंभीर टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। लेकिन वह इतने दूरदर्शी थे कि उन्होंने समझ लिया कि कुछ सीमाएं ऐसी होती हैं, जिनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए और उन्होंने पूरी सौम्यता से उस स्थिति को स्वीकार किया तथा उस गंभीर स्थिति को टालने में सफल रहे। मुझे इस बात का भी बहुत दुख है कि उनकी मृत्यु एक ऐसी सड़क दुर्घटना के परिणामस्वरूप हुई, जिसे आसानी से टाला जा सकता था। खैर, होनी को कोई टाल नहीं सकता, मैं उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

जहां तक मेरे मित्र श्री मधु लिमये का संबंध है, वह एक समर्पित समाजवादी थे। वह सोशलिस्ट पार्टी तथा समाजवादी आन्दोलन के पुराने सिपाही थे। संसद में वह प्रतिदिन प्रश्नकाल के बाद उठ खड़े होते थे तथा अपनी बात बहुत जोरदार तथा प्रभावोत्पादक ढंग से प्रस्तुत करते थे। उन्हें संवैधानिक मानदंडों तथा सदन के प्रक्रिया संबंधी नियमों की इतनी अच्छी जानकारी थी कि किसी के लिए भी उनकी बात को काटना बहुत कठिन होता था। प्रक्रिया संबंधी नियमों तथा संविधान की ठोस जानकारी के कारण वह सदन के भीतर सत्ताधारी दल के लिए आतंक बन गए थे। सदन के वाद-विवाद तथा कार्यवाही में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया।

वह समय-समय पर इन बातों को दृढ़तापूर्वक उठाते थे। मुझे आशा है कि इन सब बातों को बाद में एक व्यवस्थित रूप में सदस्यों के अध्ययन हेतु तथा भविष्य में आने वाले सदस्यों के अध्ययन हेतु भी उपलब्ध कराया जाएगा।

जहां तक कामरेड रोबिन सेन का संबंध है, मैं उनसे अच्छी तरह से परिचित था। मुझे श्रमिक आन्दोलन में उनके साथ काम करने का अवसर मिला था। वह एक महान संगठनकर्त्ता, निःस्वार्थी तथा समर्पित नेता थे, जिन्होंने मेहनतकश लोगों, विशेषकर खान और इस्पात उद्योग में काम कर रहे श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए अपना समस्त जीवन समर्पित कर दिया था। उन्होंने अपने जीवन का बेहतरीन हिस्सा इन्हीं श्रमिकों को संगठित करने में लगाया और वह उनके बीच सर्वमान्य नेता थे।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर कई वर्षों तक इस सदन में हमारे सहयोगी रहे। वह एक अच्छे मित्र तथा विनोदप्रिय व्यक्ति थे, जिनके साथ हम प्रायः विचार-विनिमय करते थे। वह कुछ समय तक कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रहे और इस पद पर रहते हुए कुशलतापूर्वक अपना कार्य किया। एक अनुभवी पत्रकार के नाते सदन में सभी लोग उनका सम्मान करते थे।

इन सभी भूतपूर्व सहयोगियों के प्रति हम आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं, सदन संवेदना प्रकट करता है। मैं अनुरोध करता हूं कि हमारी भावनाएं शोक संतप्त परिवारो तक पहुंचा दी जाएं।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष जी, आज यह सदन हमारे देश के कई ऐसे प्रमुख व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय जीवन में राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी और जिनका इस देश के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान था।

श्री ज्ञानी जैल सिंह जी ने हमारे देश के, स्वतंत्र भारत के तीन प्रमुख पदों पर काम किया। वह पंजाब के मुख्य मंत्री रहे, भारत सरकार के गृह मंत्री रहे और अन्त में भारत के राष्ट्रपति पद को उन्होंने सुशोभित किया। ज्ञानी जी सही मायने में धरती के पुत्र थे। वह जमीन से बहुत गहराई से जुड़े हुए थे। उनका जीवन सदैव इस बात की प्रेरणा देगा कि एक गरीब परिवार में, एक पिछड़े हुए वर्ग में, एक गांव में पैदा हुआ व्यक्ति कैसे अपनी निष्ठा से, अपनी सेवा से और अपने विचारों की शक्ति से आगे बढ़ सकता है, उनका यह प्रबल उदाहरण रहेगा।

अध्यक्ष जी, एक बड़ी बात मैं अपने जीवन में कभी नहीं भुलूंगा, जिसकी चर्चा आज राष्ट्रपति जी ने भी की, कि जब इस देश के पिछड़े वर्गों की, उनके आरक्षण की लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे और संविधान में उसकी व्यवस्था होते हुए भी जब उनका हक उन्हें नहीं मिल रहा था तो मुझे याद है, हम उस जमाने के 42 सांसद श्रीमती इन्दिरा गांधी से एक प्रतिनिधिमंडल में मिलने गये, हमने एक ही अनुरोध किया था कि यह जो अन्याय हो रहा है, उसको देखते हुए कम से कम वह रिपोर्ट सदन में पेश की जाये और सदन में उस पर चर्चा हो। हमारी उपस्थिति में प्रधान मंत्री जी ने ज्ञानी जैल सिंह जी को बुलाया। वह उस समय गृह मंत्री थे। उन्होंने हंसते हुए कहा कि आप रिपोर्ट चाहते हैं, मैं कल इस रिपोर्ट को प्रस्तुत कर दूंगा। उन्होंने अगले हफ्ते उस रिपोर्ट को प्रस्तुत कर दिया। केवल उस रिपोर्ट को प्रस्तुत ही नहीं किया बल्कि राष्ट्रपति की हैसियत से सारे देश में घूम-घूम कर सामाजिक न्याय के मुद्दों पर चर्चा की। उनमें अंत तक इस बात की निष्ठा बनी रही कि जो गरीब लोग हैं, पिछड़े हुए हैं, उपेक्षित हैं, स्वतंत्र

भारत में उनको सम्मान और समता का अधिकार मिलना चाहिये। इस पर उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। मुझे उनसे बड़ा व्यक्तिगत लगाव था। वह जिन तीन पदों पर रहे, वहां जब संकट के क्षण आये तो उन्होंने मुझे बुलाकर मेरी राय जानने की कोशिश की। हर समय केवल एक विचार उनके मन में था कि संविधान की मर्यादा बनी रहे और देश का कहीं अहित न हो। कई बार जब उन्हें ऐसा लगता था कि उनके विचारों के अनुकूल नहीं प्रतिकूल बातें हो रही हैं तो वह अपनी बात बड़े अच्छे ढंग से कहते थे। अन्ततोगत्वा उनके सभी निर्णयों में उनकी यही भावना देखने को मिलती थी। वह मन, विचार, काम और भावनाओं से गरीब जनता के साथ जुड़े रहे । मैं ऐसा समझता हूं कि उनका जीवन सदैव लोगों को प्रेरणा देता रहेगा।

श्री मधु लिमये इस देश की अगली श्रेणी के समाजवादी नेता और विचारक थे। वह संविधान और संसदीय परम्पराओं में बड़े निपुण थे। किसी तरह से भी इसमें उनको चुनौती नहीं दी जा सकती है। वह अग्रणी श्रेणी के नेता थे। उनके बारे में यहां अनेक बातें कही गई लेकिन एक बात मुझको प्रभावित करती थी। जीवन के अंतिम बरसों में स्वास्थ्य ठीक न रहते हुए भी जब वह ज्यादा दौड-धूप नहीं कर पाते थे तो अपनी लेखनी से, अपने विचारों को बड़ी निर्भीकता से रखते थे। अंत में उन्होंने सारी शक्ति, सारी योग्यता, सारी प्रतिभा इस बात के लिये लगा दी कि पार्टियों से ऊपर देश है। उनका कहना था कि जिस काम से देश का हित होता है, उसको निर्भीकता से किया जाये। उन्होंने अपने विचारों, नीतियों और कार्यक्रमों से देश को आगे ले जाने का काम किया। उन्होंने पूरी शक्ति, योग्यता अपनी लेखनी में लगायी और इन्हीं कार्यों से जुझते हुए अपना शरीर त्याग दिया। मुझे विश्वास है कि हमारी युवा पीढ़ी उनके प्रतिभाशाली व्यक्तित्व को और उनके देशभक्ति के योगदान को आदर्श मानकर कार्य करेगी और देश के सामने जो चुनौतियां है, उनको स्वीकार करने में समर्थ होगी।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर जी एक राजनीतिज्ञ थे। वह पत्रकार थे। उनका राजनीतिक व्यक्तित्व भी बहुत प्रखर था। इस सदन में कई बार ऐसा समय आया, जब पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर और पत्रकारों पर कोई आघात हुआ तो उन्होंने बड़ी निर्भीकता से अपनी बात कही। कई बार उन्हें ऐसी बात भी कहनी पड़ी जो उनकी अपनी सरकार की नीतियों के खिलाफ थी। यह उनकी ईमानदारी, निष्ठा और विश्वास का प्रतीक थी। वह अचानक हमारे बीच से चले गये । उनकी असामयिक मृत्यु से हमें गहरा खेद हुआ है।

अध्यक्ष जी, चौधरी दलीप सिंह दिल्ली के जाने-माने किसान नेता थे। सहकारिता आन्दोलन में उनकी बड़ी निष्ठा थी। वह इस सदन में जब कभी बोलते थे तो किसानों की बात बराबर बड़े दर्द और विश्वास से उठाते थे। उनके निधन से दिल्ली को काफी क्षति हुई है।

श्रीमती जोहराबेन अकबर भाई चावड़ा, श्री वी.टी. पाटिल, श्री रोबिन सेन, श्री टीका राम पालीवाल, ये सभी देश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए जाने-माने नेता थे। इस संसद के भी सदस्य थे। आज वे सब नहीं रहे। आपने जो भावनायें उनके बारे में व्यक्त की हैं, मैं उनकी पार्टी की तरफ से उन भावनाओं से अपने को जोड़ता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी हार्दिक संवेदना इन संबंधित परिवारों तक आप पहुंचाने की कृपा करें।

[अनुवाद]

श्री पी.जी. नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी अपने पूर्व सहयोगियों के निधन पर व्यक्त की गई संवेदना में आपके साथ हूं।

ज्ञानी जैल सिंह के निधन से देश ने एक महान राजनीतिज्ञ और सच्चा देश भक्त खो दिया है। वह एक ऐसे नेता थे जिनमें सत्ता का दम्भ नहीं था। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा आम लोगों के साथ सम्पर्क बनाये रखते थे। वह पंजाब के सबसे लोकप्रिय तथा सफल मुख्यमंत्री रहे। उनकी मृत्यु से देश ने एक महान सपूत, एक बहादुर स्वतंत्रता सेनानी और एक सफल प्रशासक खो दिया है, जिसने आजादी को मजबूत बनाने के लिए बहुत योगदान दिया। उन्हें स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में सहयोग देने, गरीबों के प्रति प्रेम रखने एंव उस देश प्रेम के लिए जाना जाएगा, जिसे उन्होंने धार्मिक विश्वासों से ऊपर रखा।

अन्य दिवंगत नेताओं को भी सदन की कार्यवाही में योगदान तथा विशेषकर कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए याद किया जाएगा।

ए.आई.ए.डी.एम.के. पार्टी की ओर से और मैं अपनी ओर से शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनायें प्रकट करता हूं।

[हिन्दी]

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट (पोन्नानी) : स्पीकर साहब, हमारे बहुत से साथी हमसे जुदा हो गए हैं, जिनका यहां पर जिक्र किया गया है। उनकी मौत से हमें बड़ा दुख हुआ है, क्योंकि वे हिन्दुस्तान के अजीम सपूत थे। उन्होंने ऐसे सिदमात अंजाम दिए थे, जिन्हें फरामोश नहीं किया जा सकता है। मैं खास तौर से ज्ञानी जी का जिक्र करूंगा, जो हिन्दुस्तान के सदर रहे और इससे पेशतर हिन्दुस्तान के वजीरे-दाखिला रहे। उनकी मौत से ऐसा नुकसान पहुंचा है, जो पूरा नहीं किया जा सकता है। वे एक अजीब दिलो-दिमाग शख्सियत वाले इन्सान थे। हमेशा जिन्दा दिल रहते थे और उनका यकीन सैक्युलरिज्म पर बहुत पक्का था और मजबूत था। यहां पर वे वजीरे-दाखिला थे और आप जानते हैं कि वजारते दाखिला के मसायत ऐसे हैं कि गरमा-गरमी पैदा हो जाती है, लेकिन वे हालात को निहायत ही अच्छे ढंग से संभाल लिया करते थे। हमेशा कहा करते थे नफरत से न देखो दुश्मन को, शायद वह मोहब्बत कर बैठे। उन्होंने कभी किसी से नफरत नहीं की, हमेशा हर एक के साथ मोहब्बत की थी। इस तरह से हर एक के दिल को जीत लिया करते थे। इस तरह के जिन्दा दिल इन्सान थे, जिनको सैक्युलरिज्म पर पूरा यकीन था। वे ऐसे इन्सान थे, जो उर्दू से बड़ी मोहब्बत करते थे। उर्दू की शायरी से बड़ी दिलचस्पी रखते थे। उर्दू के बहुत से अगार उनको याद थे, जिनका वे ऐसे मौकों पर

इस्तेमाल करते थे, जिससे तमाम लोगों को खुश कर दिया करते थे। मुझे इस वक्त एक शेर याद आ रहा है, जो उनकी मौत पर कहा जा सकता है -

ए बागवाने गुलशन-ए-हस्ती यह क्या किया,
जान-ए-चमन या गुल जो, वहीं तूने चुन लिया।

हकीकत में वे हिन्दुस्तान के चमन की जान थे। ऐसा लगता है कि जो बेहतरीन फूल था, वह तोड़ लिया गया है। वे एक ऐसी शख्सियत थे, जिनको हम याद करते हैं और हम अपने अकिदत के फूल न्यौछावर करते हैं।

इसके साथ-साथ यहां पर मधु लिमये जी का मैं जिक्र करूंगा। वे भी हिन्दुस्तान के एक बड़े अजीम लीडर थे। जैसे जयप्रकाश नारायण जी थे और डा. राम मनोहर लोहिया जी थे। उनके खास विचार थे और वे गरीबों का साथ देने वाले थे। गरीबों को ऊपर उठाना चाहते थे और इन्हीं विचारों को लेकर मधु लिमये जी विचार करते थे। जैसा कि यहां कहा गया है वह बड़े अजीम पालियामेंटेरियन थे, वह हमेशा जिस अंदाज से गुरजते थे, हमने देखा है।

हमें ज्ञानी जैल सिंह जी के साथ भी यहां रहने का मौका मिला है और मधु लिमये जी को भी हमने पार्लियामेंट में देखा है। इनके चले जाने से जो नुकसान हुआ है। उसको हम पूरा नहीं कर सकते। हमारे और भी साथी हैं जिन्होंने मुरूतलिफ मैदानों में हिन्दुस्तान की खिदमत की है। हमें बहुत दुख है कि ये सब साथी हमसे जुदा हो गए हैं। मैं चाहूंगा कि आप हमारे दुख-दर्द को उनके दुखी परिवार तक पहुंचाएं।

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : अध्यक्ष महोदय, मैं ज्ञानी जैल सिंह के निधन पर अपनी तरफ से तथा अपनी तेलुगू देशम पार्टी की तरफ से गहरा शोक व्यक्त करता हूं। मैं और लोगों द्वारा व्यक्त भावना में केवल एक विशिष्ट पहलू जोड़ना चाहूंगा। ज्ञानीजी वास्तव में लोकतांत्रिक थे। आन्ध्र प्रदेश की लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार, जिसे गैर-कानूनी तरीके से हटा दिया गया था, उसे उन्होंने भारत के राष्ट्रपति की हैसियत से हस्तक्षेप कर पुनःस्थापित किया।

महोदय, श्री मधु लिमये उन कुछ लोगों में से एक थे जो पूरा जीवन अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। वे उन गिने-चुने व्यक्तियों में से एक थे जो आज की पीढ़ी और भावी पीढ़ी को प्रेरणा प्रदान करते रहेंगे। उन्होंने सरकार में शामिल होने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया परन्तु वे हमेशा गरीबों की सेवा करते रहे। हृदय से धर्म निरपेक्ष तथा सच्चे लोकतांत्रिक होने के साथ-साथ वे गलत को गलत कहने से कभी घबराते नहीं थे हालांकि यह बात समाज के एक बड़े वर्ग को पसंद नहीं थी।

महोदय, हम सदन के अन्य सम्माननीय सदस्यों के निधन पर शोक व्यक्त करते हैं तथा अनुरोध करते हैं कि हमारी सवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों तक पहुंचा दी जाये।

श्री चित्त बसु : अध्यक्ष महोदय, इस सदन के दूसरे साथियों द्वारा हमारे देश की अनेक महान आत्माओं के दुःखद निधन पर प्रकट की गई शोक संवेदनाओं से मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। ज्ञानी जैल सिंह जी हमारे इस महान देश के राष्ट्रपति रहे, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और देश की जनता उत्थान में योगदान दिया। उन्हें पूरा देश आगे आनेवाले वर्षों तक ही नहीं बल्कि युगों तक याद रखेगा। उनका व्यक्तित्व धर्म निरपेक्ष था और वे अनुपम गुणों तथा गहन दूर-दृष्टि वाले एक महान राजयनिक थे। उन्होंने देश की बागडोर सम्भालने में दूरदर्शिता तथा बुद्धिमानी का परिचय दिया।

मधु लिमये को याद करना हमलोगों में से उन व्यक्तियों के लिए विशेष गौरव की बात है जो समाजवाद में विश्वास करते हैं और जिन्होंने विश्व में इसकी खातिर संघर्ष किया है या विश्व में आज भी समाजवाद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मधु लिमये जी ने समाजवाद के लिए संघर्ष किया। देश में समजावादी आन्दोलन के दौरान उन्होंने अपने विचारों से और उन विचारों को कार्यरूप देने में बड़ा भारी योगदान दिया। वह एक अद्वितीय सांसदविश थे और सदन में लोगों के अधिकारों की रक्षा और उनकी शिकायत संबंधी मामले उठाने के उनमें असाधारण गुण थे। उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखीं जो समाजवादी कार्यकर्त्ताओं के लिए एक अमूल्य निधि हैं। मेरे विचार में राष्ट्र उनके सामाजिक कार्यकर्त्ता तथा सांसदविश तथा लेखक के रूप में उनके अनुभवों से काफी लाभ उठा सकेगा।

श्री रोबिन सेन अद्वितीय विश्वसनीयता वाले श्रमिक संघ नेता थे। वे श्रमिकों के हितों के प्रति समर्पित थे। उन्होंने निचले से निचले स्तर पर कामगारों को संगठित किया और उनके हितों का बचाव किया। मुझे उनके साथ श्रमिक संगठन में कार्य करने का अवसर मिला।

अतएव मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से शोक संवदेनाएं व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि आप शोक संतप्त परिवारों तक इन्हें पहुंचाने की कृपा करेंगे।

[हिन्दी]

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) : स्पीकर साहब, हमारे जितने साथियों ने अभी यहां जो ताजियत पेश की है, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से उसमें अपने आपको शामिल करता हूं। जिस वक्त आंध्र प्रदेश में हालात खराब थे, उनको सुधारने के लिए ज्ञानी जी ने जो खिदमत अंजाम दी, वह आज भी मुझे याद है। कई बार उनसे मुलाकात का मौका भी मिला। सच तो यह है कि इन्सान का पैदा होना खुद उसकी मौत की दलील है। लेकिन पैदाइश से लेकर मौत तक अगर कुछ काम कर जाता है तो उसके नकूश हमारे दिलों पर बाकी रहते हैं। यही नकूश है जो दिलों से आवाज निकलती है उनकी ताजियत के लिए।

मधु लिमये जी एक बेहतरीन पालिमेंटेरियन रहे। पिछले सत्र के दौरान वह अक्सर लाइब्रेरी में आते थे, उनसे मुलाकात होती थी। जितने भी लोगों के लिए ताजियत पेश की गई है मैं उनसे अपने को

और अपनी पार्टी की तरफ से अपने को वाबस्ता करता हूं। सच तो यह है कि जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वाले की याद आती है।

श्री राम सागर (बाराबंकी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, मधु लिमये और चन्द्रलाल चन्द्राकर और दूसरे जो सांसदों के निधन पर सदन के माननीय नेता, विरोधी दल के नेता और सभी दलों के सम्मानित नेताओं ने जो अपने शोक उद्गार व्यक्त किये हैं, मैं अपनी ओर से तथा अपने दल समाजवादी पार्टी की ओर से उन उद्गारो से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

मान्यवर, ज्ञानीजी एक कुशल प्रशासक थे। उन्होंने देश की सेवा की, उसको हम नहीं भूल सकते। मधु लिमये जी सामाजिक विषमता, आर्थिक और राजनैतिक विषमता के विरुद्ध तथा समाजवाद की स्थापना के लिए जो सारा जीवन संघर्ष करते रहे, वास्तव में उनके विचार, उनका जीवन और उनकी जो लेखनी है, वह हम सबके लिए प्रेरणादायक है। हम आपसे आग्रह करेंगे कि हमारे शोक उद्गार सभी दिवंगत आत्माओं के बारे में जो हमने दिये हैं, उनके शोक संतप्त परिवारों तक पहुंचाने की कृपा करें।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : महोदय, मैं भूतपर्वू राष्ट्रपति सहित सदन के अन्य गणमान्य सदस्यों के निधन पर प्रधानमंत्री तथा विभिन्न दलों के नेतागणों द्वारा व्यक्त की गई संवेदना में शामिल होने के लिए खड़ा हुआ हूं।

जहां तक ज्ञानी जी का सवाल है मुझे व्यक्तिगत रूप से जानकारी है कि उन्होंने मुरादाबाद दंगों से किस तरह निपटा था। उन्होंने दंगों के बाद पैदा हुई स्थिति का जिस तरह सामना किया वह देश के किसी भी शासक के लिए एक उदाहरण है। ज्ञानी जी के निधन से हमने एक महान व्यक्तित्व को खो दिया है।

महोदय, जब मैं श्री चन्द्रलाल चन्द्राकर का नाम लेता हूं तो बहुत ही बातें मेरे स्मृतिपटल पर उभाड़ती हैं। उनका व्यक्तित्व मिलनसार था और वे मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। जब कभी भी उन्होंने सदन के वाद-विवाद में हिस्सा लिया तो वाद-विवाद जीवन्त हो जाता था। हम लोगों ने सदन से एक अच्छे मित्र को खो दिया है।

जहां तक मुझे जानकारी है श्री मधु लिमये एक सच्चे समाजवादी थे। मैं अपने दल की तरफ से मैं अन्य नेताओं के साथ शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, मैं भी केरल कांग्रेस की ओर से ज्ञानी जी तथा अन्य गणमान्य सदस्यों के निधन पर गहरी संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :

1.51 म.प.

अब सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे। तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे ।

1.52 म.प.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

केबल दूरदर्शन नेटवर्क (विनियमन) अध्यादेश द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : मैं लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 71(2) के अन्तर्गत केबल दूरदर्शन नेटवर्क (विनियमन) अध्यादेश, 1995 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7005/95]

पेटेन्ट (संशोधन) अध्यादेश, 1994 (1994 का संख्यांक 13) तथा सीमा शुल्क टैरिफ (संशोधन) अध्यादेश, 1994 (1994 का संख्यांक 14) इत्यादि

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : मैं संविधान के अनुच्छेद 123(2) (क) के अन्तर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) 31 दिसम्बर, 1994 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित पेटेन्ट (संशोधन) अध्यादेश, 1994 (1994 का संख्यांक 13)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7006/95]

(2) 31 दिसम्बर, 1994 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित सीमा-शुल्क टैरिफ (संशोधन) (अध्यादेश, 1994 (1994 का संख्यांक14)।

[ग्रंथालय में रखा गया देखे संख्या एल.टी. 7007/95]

(3) 10 जनवरी, 1995 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) अध्यादेश, 1995 (1995 का संख्यांक 1)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7008/95]

(4) 13 जनवरी, 1995 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) अध्यादेश, 1995 (1995 का संख्यांक 2) तथा इस का एक शुद्धि पत्र।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 7009/95]

(5) 17 जनवरी, 1995 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित केबल दूरदर्शन नेटवर्क (विनियमन) अध्यादेश, 1995 (1995 का संख्यांक 3)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7010/95]

(6) 21 जनवरी, 1995 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) संशोधन अध्यादेश, 1995 (1995 का संख्यांक 4)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7011/95]

(7) 25 जनवरी, 1995 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित प्रतिभूति विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1995 (1995 का संख्यांक 5)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7012/95]

अध्यक्ष महोदय : सभा 14 फरवरी, 1995 को पुनः समवेत होने के लिए 11 बजे म.पू. तक के लिये स्थगित होती है।

1.53 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 14 फरवरी 1995/25 माघ, 1916 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।